

राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, भोपाल

कालोनी का विवरण- कालोनी पूर्ण विकसित कर सभी सदस्यों के नाम रजिस्ट्री करा जा चुकी है। सदस्यों ने अपने भवन निर्माण कर लिया है। कालोनी रखरखाव (मेंटेनेंस) हेतु नगर निगम को हस्तांतरित की जा चुकी है। संस्था की भूमि का भू-परिवर्तन एवं कालोनी ले-आउट अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुज़ूर न्ययालय से स्वीकृति। पत्र संलग्न।

सत्यप्रतिपि राजस्व प्रकरण नं० ५१३-२१८६-५७
ज्यापा पु अविभागीय अधिकारी तहसील छुन्नूर, भोपाळ

राजस्व प्रकरण नं० ५१३-२१८६-५७

राजस्व गृह निर्माण सहायी समिति स्थापित, भोपाळ

द्वारा : अध्याप, श्री ब्रह्मसंवरण ताजपेयी,
मि० टण्डीनागर, भोपाळ

विरुद्ध -

मोप्रो नगर,

आदेश :

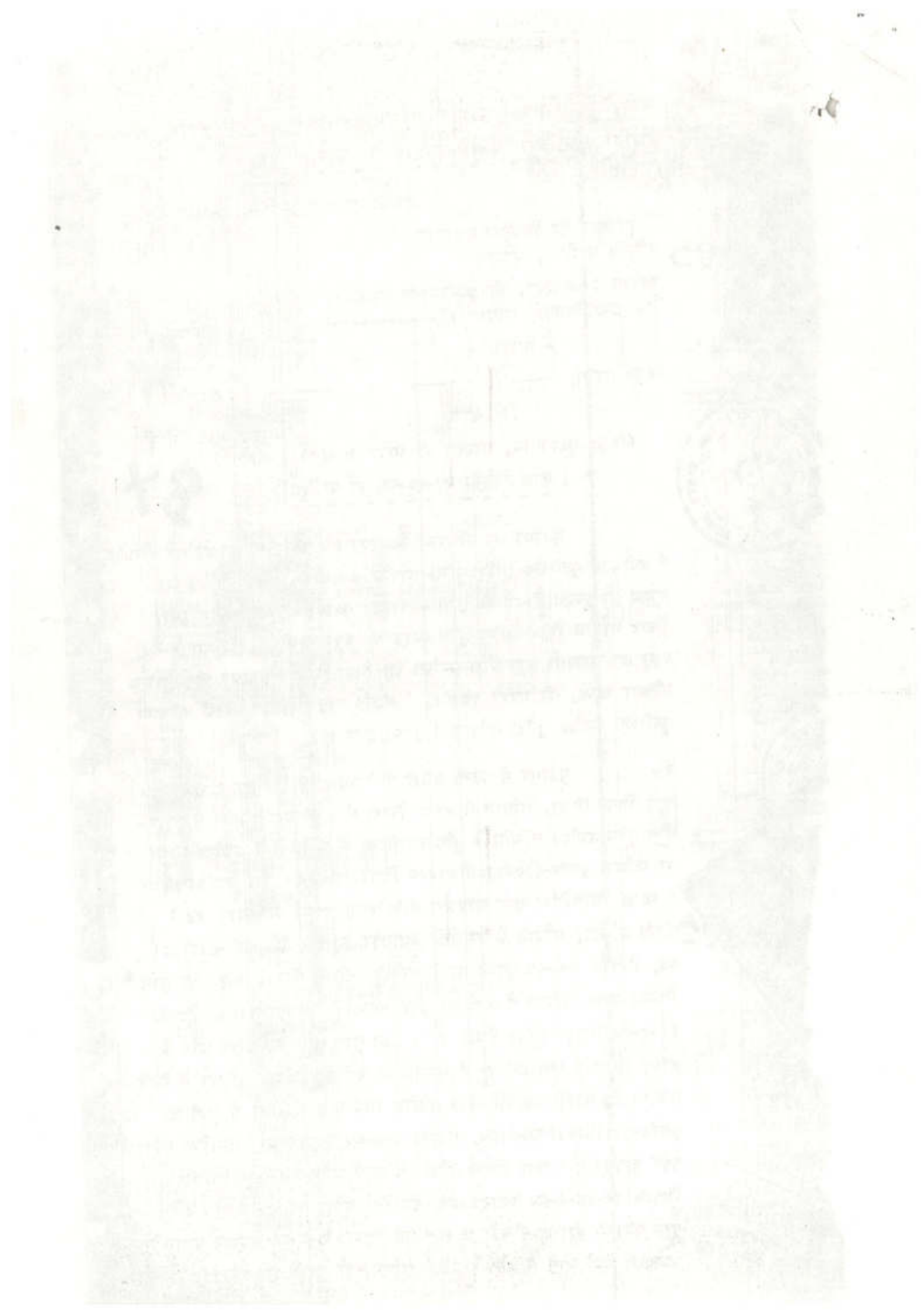
(मोप्रो नगर राजस्व, संहिता के धारा १७२(१) के अंतर्गत)

(आज दिनांक २५-१०-८६ को पारित)

BT

प्रकरण का विनिर्दिष्ट विवरण एवं प्रकरण के अंतर्गत समिति ने अधीनस्थ अधिकारी (परिभूमि) भोपाळ से सम्बंधित विवरण एवं आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम के आसपास मोप्रो नगर तहसील छुन्नूर जिला भोपाळ स्थित बंजि भूमि क्षेत्रा नं० ६२, २२५ एवं ६३, २२५ एकड़ का व्यापकता अन्तर्गत प्रयोजन हेतु लिया गया। प्रकरण मोप्रो नगर संहिता १९५६, के धारा १७२(१) के अंतर्गत मोप्रो नगर संहिता के अधीनस्थ अधिकारी (परिभूमि) भोपाळ ने प्रस्तुत किया।

२- प्रकरण में तहसील अधिकारी ने स्पष्ट रूप से ग्राम के आसपास नगर निगम सीमा, भोपाळ से जमा किया है। राजस्व के लिए नगर निगम भूमि आवेदन समिति ने भूमि स्वामीत्व में अधिकारी के अधिकार क्षेत्र का पंजीकृत क्रमांक-डी०आर०बी०१३२८ दिनांक २०-८-८३ में जमा किया है। मोप्रो विनिर्दिष्ट मुष्ट विवरण अधिनियम, १९८३ के धारा २४ के अंतर्गत केक्टर, भोपाळ से जमा की स्थापना हेतु जमा किया गया है। ८४, दिनांक ४-८-८५ प्राप्ति पर लिया गया। नगर निगम निवेशक मोप्रो भोपाळ ने अपने पत्र क्रमांक-४२६ दिनांक १५.८.८६, दिनांक ११-१-८५ द्वारा सूचित किया है कि उक्त ग्राम भोपाळ निवेशक क्षेत्र के बाहर स्थित है तथा वर्तमान में भोपाळ के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत में किसी उपयोग हेतु आरंभित नहीं है। भोपाळ निवेशक निवेशक ने अपने पत्र क्रमांक-७३१ दिनांक १२.१०.८५, दिनांक ८-७-८५ द्वारा कोर्ट आपत्ति जमा नहीं किया है। नगर निगम भोपाळ ने अपने पत्र क्रमांक-८५ दिनांक १८-१८-८५ द्वारा कोर्ट आपत्ति जमा नहीं किया है। ग्राम पंचायत बरगाड़ वीरडी ने अपने पत्र दिनांक ७-८-८६ द्वारा प्रस्तावित व्यापकता लिये जाने में कोर्ट आपत्ति जमा नहीं किया है।



(रामस्वयंजय जन्म)
अनुपिभागीय नभेजारी,
तण्डील पुण्ड्र पोपाळ

~~SECRET~~

१. प्राधान्य प्राप्त
 २. ७/१०/४
 ३. ७/१०/४
 ४. ७/१०/४
 ५. ७/१०/४
 ६. ७/१०/४
 ७. ७/१०/४
 ८. ७/१०/४
 ९. ७/१०/४
 १०. ७/१०/४
 ११. ७/१०/४
 १२. ७/१०/४
 १३. ७/१०/४
 १४. ७/१०/४
 १५. ७/१०/४
 १६. ७/१०/४
 १७. ७/१०/४
 १८. ७/१०/४
 १९. ७/१०/४
 २०. ७/१०/४
 २१. ७/१०/४
 २२. ७/१०/४
 २३. ७/१०/४
 २४. ७/१०/४
 २५. ७/१०/४
 २६. ७/१०/४
 २७. ७/१०/४
 २८. ७/१०/४
 २९. ७/१०/४
 ३०. ७/१०/४
 ३१. ७/१०/४
 ३२. ७/१०/४
 ३३. ७/१०/४
 ३४. ७/१०/४
 ३५. ७/१०/४
 ३६. ७/१०/४
 ३७. ७/१०/४
 ३८. ७/१०/४
 ३९. ७/१०/४
 ४०. ७/१०/४
 ४१. ७/१०/४
 ४२. ७/१०/४
 ४३. ७/१०/४
 ४४. ७/१०/४
 ४५. ७/१०/४
 ४६. ७/१०/४
 ४७. ७/१०/४
 ४८. ७/१०/४
 ४९. ७/१०/४
 ५०. ७/१०/४
 ५१. ७/१०/४
 ५२. ७/१०/४
 ५३. ७/१०/४
 ५४. ७/१०/४
 ५५. ७/१०/४
 ५६. ७/१०/४
 ५७. ७/१०/४
 ५८. ७/१०/४
 ५९. ७/१०/४
 ६०. ७/१०/४
 ६१. ७/१०/४
 ६२. ७/१०/४
 ६३. ७/१०/४
 ६४. ७/१०/४
 ६५. ७/१०/४
 ६६. ७/१०/४
 ६७. ७/१०/४
 ६८. ७/१०/४
 ६९. ७/१०/४
 ७०. ७/१०/४
 ७१. ७/१०/४
 ७२. ७/१०/४
 ७३. ७/१०/४
 ७४. ७/१०/४
 ७५. ७/१०/४
 ७६. ७/१०/४
 ७७. ७/१०/४
 ७८. ७/१०/४
 ७९. ७/१०/४
 ८०. ७/१०/४
 ८१. ७/१०/४
 ८२. ७/१०/४
 ८३. ७/१०/४
 ८४. ७/१०/४
 ८५. ७/१०/४
 ८६. ७/१०/४
 ८७. ७/१०/४
 ८८. ७/१०/४
 ८९. ७/१०/४
 ९०. ७/१०/४
 ९१. ७/१०/४
 ९२. ७/१०/४
 ९३. ७/१०/४
 ९४. ७/१०/४
 ९५. ७/१०/४
 ९६. ७/१०/४
 ९७. ७/१०/४
 ९८. ७/१०/४
 ९९. ७/१०/४
 १००. ७/१०/४

17131

(58)

(36)

न्यायालय अनुबिभागीय अधिकारी नरसील हज़ार, भोपाल

राजस्व प्रकण 6/अ-2/86-87

राजस्व गृह निर्माण सहकारी

समिति मर्यादित भोपाल

वदातः- अध्यक्ष श्री ब्रह्मस्वल्प वाजपेयी

टी 0टी 0 नगर भोपाल - - - - - आवेदक

विस्तृत

म0प्र0 शासन - - - - - आवेदक

आदेश

(म0प्र0 भू10त0 सहिता 1959 के भाग 172(1) के अंतर्गत)

राज दिनांक 25-10-86 का पालन



प्रकण का सीक्षाप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक समिति ने

अधीक्षक भू अभिलेख (पार 0 भूमि) भोपाल के समक्ष एक आवेदन पत्र इस-
आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम नयापुरा म0र0त0 38 तहसील हज़ार जिला भोपाल
स्थित भूमि कासरा क्रमांक 61/2, 61/2/2 क्षेत्रफल 4 एकड़ का व्यपकर्तन
आवासीय प्रयोजन हेतु किया जाय। प्रकण म0प्र0 भू राजस्व सहिता, 1959
के भाग 172(1) के अंतर्गत जांच प्रतिवेदन सहित अधीक्षक भू अभिलेख ने
इस न्यायालय को प्रेषित किया।

2/ प्रकण में संलग्न अभिलेखों से स्पष्ट है कि ग्राम नयापुरा नगर
निगम भोपाल की सीमा से बाहर स्थित है। राजस्व अभिलेखों में प्रशानाधीन
भूमि आवेदक समिति के भूमि स्वामित्व में अंकित है। आवेदक संस्था का पंजीयन
क्रमांक सी 0आ 10बी 0/318 दिनांक 8-2-83 है। आवेदक संस्था ने म0प्र0 निर्दिष्ट
भाइट आचरण निवाण अधिनियम 1982 के भाग 24 के अंतर्गत करक्टर
भोपाल से कालोनी स्थापना हेतु लाइसेंस क्रमांक 9/ सी 0आ/85 दिनांक 4-6-85
प्राप्त कर लिया है। संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवा म0प्र0 भोपाल ने
अपने पत्र क्रमांक 429/विधि/नग्रा 0नि/84 दिनांक 11-1-85 वदात सूचित किया
है। कि उक्त ग्राम भोपाल निवा क्षेत्र के बाहर है। तथा वर्तमान में भोपाल
की स्वीकृत विकास योजना में किसी उपयोग हेतु आश्रित नहीं है। भोपाल
विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र क्रमांक 73/बि0अ0स0/राजस्व/85 दिनांक 8-7-85
वदात कोई आपरित होना नहीं दर्शाया है। नगर निगम भोपाल ने अपने
पत्र क्रमांक 678/निवि0भा/8 दिनांक 18-4-85 वदात कोई आपरित होना नहीं
दर्शाया है। ग्राम पंचायत बैरागड चौचली ने अपने पत्र दिनांक 7-8-86 वदात
प्रशानाधीन व्यपकर्तन लिये जाने में कोई आपरित होना नहीं दर्शाया है। इसके



AD

27/11/86

हो का तोना का अभिप्राय / लेखा ५०० भी अनुदित है। जिसे इस

59

न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया। प्रस्तापित फलों की विकास व्यय रुपये 47000 (चार लाख चौतीस हजार चार सौ सत्तर रुपये मात्र) प्रस्तापित किया गया है। इस विकास कार्य के व्यय का 20% 8689400 (ठ्यासी हजार आठ सौ चौसठ रुपये) होता है जिसके विरुद्ध आवेदक संस्था ने रुपये 436000 (चार हजार तीन सौ साठ रुपये) का बिल्टन फिक्स डिपोजिट रसीद क्रमांक बी-351364 दिनांक 21-10-86 सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया टी 0 टी 0 नगर भीपाल शाखा में जमा कराते हुये रसीद प्रस्तुत की है। जो संहिता की धारा 172(3) के अंतर्गत है। शेष राशि रुपये 82534/- के स्वरूप में जमाना तदार (1) राज्यद गृह निर्माण सहायता समिति भीपाल की तनपुर स्थित कृषि भूमि 3-94 एकड़ तथा (2) श्री सुराचन्द्र बाजपेयी श 0 सुन्दरगंगा तालीम नितासी भौगोलिक ग्राम की प्रती बैरागड नितासी भूमि 61000 2 एकड़ की जमानत प्रस्तुत की जो स्वीकार की गई अधीनस्थ भूमि (परि 10 भूमि) भीपाल ने अपने प्रतिवेदन में प्रस्तापित व्ययवर्तन अनुमत किये जाने की अनुमति दी है।

3/ उपर्युक्त विवेचना के आधार पर आवेदक समिति के पक्ष में आवेदित व्ययवर्तन संहिता की धारा 172(1) के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमत किया जाना आदेशित किया जाता है-

(अ) प्रस्तापित निर्माण कार्य इस स्वीकृत लेखा ५०० अनुसार प्रोत्साहित किया जावेगा। नार्चनिक निस्तार सुविधा स्व जनस्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न होने पर उक्त अनुमति नारस्त कर दी जावेगी बिजली, पानी एवं प्रकाश आदि की व्यवस्था समिति को करना अनिवार्य है।

(ब) उक्त समिति को व्ययवर्तन भूमि का विकास कार्य तीन वर्षों की अवधि के भीतर करना अनिवार्य होगा।

(स) प्रस्तापित ग्राम नयापुरा की जनसंख्या दो हजार से कम होने से प्रयाजी कामकाज को जाता है।

(द) प्रस्तापित भूमि पर 2003-5 पैसे (दो हजार तीन रुपये पचत्तर पैसे मात्र) पूर्ण निर्माण भू राजस्व वर्ष 1986-87 से निर्धारित किया जाना आदेशित किया जाता है। तदनुसार उक्त भूमि का भू राजस्व भी कम किया जाना आदेशित किया जाता है।

4/ यह आदेश आज दिनांक 25-10-86 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से न्यायालय में प्रसारित किया गया।

21

सही / हस्ता 0
(रामस्वरूप शर्मा)
अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर भीपाल

पृ० ३० 1171/प्रबा० 1/86
प्रतिलिपि-

भीपाल दिनांक 25-10-86

तहसीलदार तहसील हुजूर भीपाल को और आवश्यक कार्यवाही हेतु अतिरिक्त

65

33

सत्यप्रतिलिपि अनुविभाग आदेश दिनांक 30/जून/1989
 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तह हुर भोपाल
 प्रकरण क्रमांक 50/अ-2/88-89
 राजस्व गृह निर्माण सहकारी समिति म्यादित
 विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन 5 - - - - -

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुर, भोपाल मण्डल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 50/अ-2/88-89

राजस्व गृह निर्माण सहकारी समिति म्यादित,
 भोपाल द्वारा अग्रज भू बी०एस०वाजीपी,
 निवासी भोपाल - - - - - आवेदक

विरुद्ध

मण्डल शासन - - - - - जमा देवक

- :: आदेश :: -

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत

- :: आज दिनांक 30/जून/1989 को गारित :: -

प्रकरण का सीमित दिवस इस उ कार है कि आवेदक/समिति ने इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस वाक्य का प्रस्तुत किया कि ग्राम हिनोत्तिया आलम प० 110 न० 38, तहसील हुर, जिला भोपाल स्थित कृषि भूमि उसरा क्रमांक 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 7/3 एवं 11/1 कुल क्षेत्रफल 24-70 एकड़ का वापस आवासीय परिपूजन हेतु हित जाये। प्रकरण जांच प्रत्येदन हेतु अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला भोपाल को भेजा गया। अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला भोपाल ने प्रकरण मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत पंजीब कर जांच प्रत्येदन सहित इस न्यायालय को प्रस्तुत किया।

2:- प्रकरण में उपलब्ध उसरा प्रति वर्ष 1988-89 से स्पष्ट है कि आवेदक/समिति राजस्व अभिलेखों में पुराना कीन भूमि के भूमिस्वामी के रूप में अंकित है। आवेदक/समिति का पंजीयन क्रमांक डी०आर०बी० 318 दिनांक 8/2/83 है। आवेदक/समिति ने कलेक्टर भोपाल से कालोनी स्थापना हेतु कालोनीईजर्स नोटिस क्रमांक 9/रीडर/85 दिनांक 4/6/85 है। नगर ग्रामीण निपूजन दि 1 ग भोपाल के पत्र क्रमांक 2146 दिनांक 22/11/88 द्वारा उक्त उसरा नम्बर शासन द्वारा

हिनोत्तिया

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1863. It is a very important document, as it contains the President's message to Congress, and is one of the most important documents in the history of the United States. The letter is written in a very formal and dignified style, and is full of wisdom and insight. It is a masterpiece of American literature, and is one of the most important documents in the history of the United States.

2. The second part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1863. It is a very important document, as it contains the President's message to Congress, and is one of the most important documents in the history of the United States. The letter is written in a very formal and dignified style, and is full of wisdom and insight. It is a masterpiece of American literature, and is one of the most important documents in the history of the United States.

3. The third part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1863. It is a very important document, as it contains the President's message to Congress, and is one of the most important documents in the history of the United States. The letter is written in a very formal and dignified style, and is full of wisdom and insight. It is a masterpiece of American literature, and is one of the most important documents in the history of the United States.

4. The fourth part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1863. It is a very important document, as it contains the President's message to Congress, and is one of the most important documents in the history of the United States. The letter is written in a very formal and dignified style, and is full of wisdom and insight. It is a masterpiece of American literature, and is one of the most important documents in the history of the United States.

5. The fifth part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1863. It is a very important document, as it contains the President's message to Congress, and is one of the most important documents in the history of the United States. The letter is written in a very formal and dignified style, and is full of wisdom and insight. It is a masterpiece of American literature, and is one of the most important documents in the history of the United States.

1863

रवीकुम भोपाल क्कित योजना क्षेत्र एवं निवेष्ट क्षेत्र के बाधर है ।
 आदेदक/समिति द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बैरागढ़ चीवली से उक्त
 भूमि का अभिस्थापन स्वीकृत कराते हुए बनावतित प्रमाण पत्र प्रस्तुत
 किया है, जो प्रकरण में संलग्न है । आदेदक/समिति ने पुरनाधीन भूमि
 के विकास व्यय का प्राक्कलन रुपये 15,26,300/- पन्ध्र लाख उब्बीस
 हजार तीन सौ रुपये । मात्र का स्ट्रीमेट प्रस्तुत किया है, जिसका
 कि 1/5 भाग रुपये 3,05,260/- होता है । आदेदक/समिति द्वारा
 बलाबाबाद बैंक माता मंजिर गागा भोपाल में एफ0डी0जार0 रु0
 757919/40/168 दिनांक 28/6/89 द्वारा रुपये 86,350/-
 [छियात्त हजार तीन सौ पचास रुपये मात्र] जमा कराते हुए रसीद
 प्रस्तुत की है, जो कि विकास व्यय की राशि का 5 प्रतिशत होता
 है । शेष राशि के संबंध में जमानतदार [1] राजवेद गृह निर्माण सहकार
 समिति की ग्राम नयापुरा स्थित 3-00 एकाड कृषि भूमि [2]
 ब्रह्मस्वरूप बाजपेयी की ग्राम बैरागढ़ चीवली स्थित 10-00 एकड
 का जमानते प्रस्तुत की है, जो प्रकरण में संलग्न है । अखीसक भू-
 अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला भोपाल ने प्रस्तावित व्यपवर्तन करने
 का अनुरोध की है ।

3:- उपर्युक्त निवेदना के आधार पर आदेदक/संस्था के पत्र में
 लादेदित व्यपवर्तन सहिता की जारा 172 [1] के अन्तर्गत निम्नलिखित
 शर्तों के अधीन अनुमत किया जाना आदेशित किया जाता है ।

अ] आदेदक/समिति को विकास कार्य तीन वर्ष की समयावधि में
 पूर्ण कराना होगा । पर्यावरण के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जावेगा ।

ब] उपरोक्त भूमि 24-70 एकड पर पुन-निर्धारण भू-राजस्व
 व्यपवर्तित क्षेत्र 0-25 एकड पर 414/- रुपये एवं 24-45 एकड भूमि
 पर रुपये 26,626/- वर्ष 1988-89 से कायम किया जाकर उसका
 कृषि भू-राजस्व रुपये 52-65 पैसे समाप्त किया जाता है ।

स. ग्राम हिनोत्तिया आलम नगर निगम सीमा से बाहर होने से
 प्रब्याजि से मुक्त किया जाता है ।

4:- गृह आदेश बाज दिनांक 30 जून, 1989 को मेरे हस्ताक्षर एवं
 न्यायालयान मुद्रा से प्रसारित किया गया ।

अनुमोदित
 (27/5/87)

हस्ता/-
 अनुविभागीय अधिकारी,
 तहसील भुजूर, भोपाल,

2112187

24/2/84

2112189

2112187

2112189

878

41

2112187

Amld

Amld

पत्न्य प्रतिरूपिणी स्तिवे 4 न दिनांक 19=7=85, न्यायालय अधीनक मूजमिलेख
 परिवर्तित भूमि, गोपाल, पृष्ठ 87/अ2/अ3=84, आदेश दिनांक 30=7=85, न्यायालय
 न्यायाधीश महोदयों तह नुनुर गोपाल, पृष्ठ 176/अ2/अ4=85-
 आवेक रावेक गृह निर्माण सहसमिति (मवा 0) गोपाल विभासन
 =====

न्यायालय अधीनक मू - जमिलेख (परिवर्तित भूमि) गोपाल
 =====

भासन - बरनाम रावेक गृह निर्माण सहसमिति मवादिता, गोपाल ... आवेक
 प्रीतवेदन
 (दिनांक 19=7=1985)
 =====

रावेक गृह निर्माण सहसमिति मवादिता गोपाल द्वारा ग्राम
 मकरपुर एवं नया पुरा को निम्नांकित भूमि के व्यववर्तन हेतु स्तोनो निर्माण
 हेतु पारा 172 (1) मू रा स01959 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

ग्राम	खसरा नंबर	रकबा	मू रा नस्य
नयापुरा प0	25		
ह0न038, तह0	26/1/2	8.33रकड	34.20
हनुनुर	27		
	29/1	1.70रकड	
	30/1	2.00रकड	
	31	1.67रकड	
		13.70रकड	
मकरपुर	56, 68, 64/1, 64/2, 65, 100/66		3रकड 27.45रकड
प080न038	2/1/1		
तह0हनुनुर	56, 68, 64/1, 64/2, 65, 100/66		3रकड
	2/2/1		
	56, 68, 64/1, 64/2, 65, 100/66		3रकड
	2/3/1		
	56, 68, 64/1, 64/2, 65, 100/66		2.03रकड
	2/4		
		8.97रकड	
		12.0रकड	
कुल योग		25.70रकड	

=====2

A/B

आवेदक समिति के नाम पर उपरोक्त भूमि पट्टाकारी अभिलेख में भूमि स्वतंत्र में अंकित है, नक़्त ख़ग़रा 1983-84 संलग्न है।

2/ प्रस्तावित व्यपवर्तन भूमि के संबंध में इस संहिता की धारा 172 के निर्मित नियम के अनुसार अभिलेखित एवं ले-आउट नक्शा को स्वीकृति है। इस न्यायालय के पत्र क्रमांक 315-316-317/ अ०मु०अ०/84 दिनांक 16-7-84 एवं 278/अ०मु०/परि०/४/8 दिनांक 12-11-84 के द्वारा नगर एवं ग्राम निवेश, विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम मोपाल से बाढी गई है।

संयुक्त संसलक नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रवेश मोपाल के पत्र क्र० 429/वि०पि० न० 990/न०/84 दिनांक 11-1-85 के अनुसार अनापत्ति प्राप्त हुआ जिसमें उल्लेख है कि प्रानाधोन व्यपवर्तन भूमि मोपाल निवेश क्षेत्र के बाहर है एवं मोपाल को स्वीकृत क्षेत्र में पोना में किसी भी उपयोग हेतु नहीं आरक्षित नहीं है, अतः मोपाल नगर निगम क्षेत्र के बाहर है। इसलिये स्थानोप संस्था (ग्राम पंचायत) केरागठ बीकनो के सरपंच के पत्र दि० 18-2-85 के अनुसार ले-आउट स्वीकृत एवं अभिलेखित एवं नक्शा नो ग्रामोप अंक के लिये उचित है व्यपवर्तन हेतु भीन्य योग्य है।

इसी तरह से विकास प्राधिकरण मोपाल के पत्र क्रमांक 296/विकास/राज्य/84 दिनांक 18-10-84 के अनुसार इस व्यपवर्तन हेतु आपत्ति नहीं है, परन्तु नगर निगम की ओर से कई पत्र भेजे जाने के उपरान्त कोई उत्तर प्राप्त हुआ। नगर निगम के पत्र क्र० 678/नि०वि०सा/85 दिनांक 18-8-85 के अनुसार ग्राम नवापुरा एवं बकसरपुरा नगर निगम क्षेत्र के बाहर है निगम मोपाल को कोई पोना नहीं है। ग्राम पंचायत स्थानो संस्था का अभिलेखित प्रानाधोन व्यपवर्तन भूमि के लिये ग्रामोप अंक हेतु पर्याप्त है।

सबसे प्राधिकारी अर्बन सोलिंग मोपाल के प्रकरण क्रमांक 469/84, 470/84, 471/84 पारा 6 में पारित आदेश दिनांक 23-2-85 एवं 468/84 आदेश दिनांक 25-2-85 के अनुसार प्रस्तावित व्यपवर्तन भूमि के संबंध में कोई भी मत व्यक्त किया गया है। संबंधित भूमि मोपाल विकास पोना के बाहर है और धारा 2(क) के तहत रिस्त करने को परिचाया में नहीं आती है। तात्पर्य यह है कि अर्बन सोलिंग अधिनियम 1976 के प्रावधानों का प्रभाव नहीं पड़ता।

उपरोक्त वर्णित स्थिति के अनुसार न० 8 प्र० विनिरिफ्ट ग्रुप अवरोध निवारण अधिनियम 1982 की धारा 24 के अनुसार परिपातन किया गया है।

3/ उपरोक्त समिति ने क्षेत्रों में लायसेंस के लिये क्लेक्टर महोदय की ओर निपरित शुक नमा कर आवेदन पत्र दिनांक 8-5-84 को प्रस्तुत किया है। इस आक्षेप को नानकारी प्रकरण में संलग्न है क्लेक्टर महोदय के क्र० 9/रोडर/85 दि० 4-6-85 के अनुसार कालेनो-लायसेंस प्राप्त है।

4/ रामस्व निरोद्धक (परि० भूमि) मोपाल का प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त है जिसके अनुसार समिति को भूमि बताई गई है।

5/ आवेदक समिति का और ब्रह्मस्वस्व गानपेयो व्यस का कथन दिया। उपरोक्त वर्णित समिति को भूमि का व्यपवर्तन कराना कथन में स्वीकार किया गया है।



RECEIVED
DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT BHILAI

विशेषीय व्यपवर्तन को अनुमति एवं पुनः निर्धारण में राक्षस काया करने के लिये

आवेदक समिति ने विस्स सर्व को राक्षस हेतु नमानतदार कुल राक्षस के 1/5 भाग को प्रतिवृत्ति प्रस्तुत किया। प्यारेलाल आत्मन छेदेराम निवासो जवनो तहसोल हुनूर नमानतदार ने अपनी जवत संपत्ति (कायकारो भूमि) ग्राम दामखेडा पटवारो इल्म नंबर 37 तहसोल हुनूर में स्थित जवत नं० 9/3 एवं 16/1/1 कुल रकबा 31.66 रुब में से प्रतिवृत्ति दिया, जवत नम्बर सन् 1983-84 एवं 84-85 प्रस्तुत है। प्यारेलाल नमानतदार ने अपने जवत संपत्ति का नमानत नामा दिनांक 19-7-85 तिखा है उल्लेख है कि प्यारेलाल दामखेडा को भूमि का एक मजदूर व्यक्ति है इस भूमि पर कोई रहन बंधक बाद नहीं है। और वर्तमान के बाजार भाव के अनुसार पन्द्रह लाख (1500000 रुपये) को कोमत होता है। आवेदक समिति को भूमि की विस्स सर्व को कुल लागत 15, 19, 250=01 (पन्द्रह लाख उन्नीस हजार दो सौ पचास रुपये) में से 1/5 भाग 3, 03, 650/- (तीन लाख तीन हजार आठ सौ पचास रुपये) को प्रति भूमि अपने उपरोक्त जवत संपत्ति में से देना स्वीकार किया गया है, धारा 172 में राक्षस संहिता के अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुसार नमानत दिया है नमानत नामा स्वीकार करने योग्य है। इसके अतिरिक्त आवेदक समिति के विस्स सर्व को लागत हेतु अधिक नगर प्रतिवृत्ति के रूप में 21, 000/- रुपये (इक्कीस हजार रुपये) स्टेट बैंक, लो. लो. नगर बोमात गतान क्र० 38/42 दिनांक 17-7-85 के तारिखे नमा किया है।

7/ गतः समस्त प्रारंभिक सर्ववाही संपूर्ण कर ली गई है इसलिये निम्नलिखित शर्तों के आधार पर धारा 172(1) के तहत अनुमति प्रदान किया जाना उचित होगा।
(क) प्रस्तावित व्यपवर्तन भूमि के लो. माउंट प्लान के अनुसार विस्स सर्व स्थिरित समयावधि में आदेश दिनांक से तीन मात के मोतर पूरा करना होगा।

- (ख) लो. माउंट प्लान में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
- (ग) सार्वजनिक निस्तार सुविधा एवं स्वास्थ्य में बाधा या अड़बट पैदा करने पर अनुमति रद्द कर दी जावेगी।
- (घ) प्रस्ताव, विनती, नत पदाय, समिति से व्यय को नावेगी।
- (ङ) खुदो को बिजो या आवंटन तथा विस्स कार्य सज्जनों, लायसेन्स के शर्तों एवं म० प्र० विनिरिष्ट क्रुष्ट आवरण निवारण अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत शर्तों के नियम के अनुसार होगी।

(छ) ग्राम नया पुरा सर्व अकबरपुर बोपात नगर के क्षेत्र के बाहर स्थित है, रिपोर्ट के अनुसार दोनों ग्रामों की जनसंख्या

==

पृष्ठ 425 और 417 है। अतः धारा 59(5) में रात संहिता के प्रावधान के अनुसार प्रख्यातो लागू नहीं होता।

(9) म० प्र० मू - परिमाण एवं बन्दोबस्त विभाग गोपाल के अधिसूचना क्रमांक 15/95/8/79 दिनांक 31-12-79 के अनुसार 1-15 फीट प्रति 100 वर्गफुट को दर से धारा 59 (2) मू - रानिव संहिता 1957 के अन्तर्गत ग्राम नवापुरा एवं अकबरपुर को 25.70 रुकड (1119492 वर्गफुट) का पुनर्निर्माण ग्राम नवापुरा का 6040.70 पैसे एवं ग्राम अकबरपुर का 6033.30 पैसे कुल मू रानिव वार्षिक रुपये 12,874.20 पैसे वर्य 1984-85 से देय होगा।
कृषि मू रानिव सारित कृषि नावेगा।
पतिवदन समर्पित।

सही /-

अपेक्षक मू अधिकारी

पति, मूनि, धर्मोदय गोपाल

(गोत मुद्रा)

देखा।

सही /-

30-7-85

मनुविभागोप अधिकारी

तहसील हुनूर, गोपाल

निरन्तर 5- - - - -

5 63 46

[illegible]

- ७ -

स्वागतः मनुष्याणां अधिकारी नरकोट हनुवर, कोयना

प्रकरण ११/१ ११६/१२/०४०३

राजद्वयं गृह निर्माणं सङ्करो मणिति.
(मधुविहति) मोपात

मन्त्रा- मन्त्रो यो ब्रह्मनाम्न वासयेयो ॥ १ ॥
 विष्णवे
 मन्त्र प्रवेत्ता तासन् ॥ २ ॥
 मन्त्रा- मन्त्रो यो ब्रह्मनाम्न वासयेयो ॥ ३ ॥
 विष्णवे
 मन्त्र प्रवेत्ता तासन् ॥ ४ ॥

(मध्यम श्रुति रसिक संहिता की धारा 172 के अन्तर्गत)
 बिनाक 30-7-85 की धारित)
 ११-११-११

'सर्वेसर्व' रामचर्च गुड निर्माण सहकारी समिति (मयविहित) बोपात
 को मोर ले जाके गन्धक को बोधस्त ० बातपेको खीरा' म० प्र० दुरा० स०
 १९५९' (सि जागे सिद्धता कहा गया है) को पारा १७२ के अन्तर्गत एक गांव-
 एक ग्राम मयापुरा प० ४० नं० ३० तहसील हुनुर बोपात स्थित क्षुधि भूमि ख० नं० २५,
 २६/१/२, २७ एकवा १.३३ एकड़, ख० नं० २७/१ एकवा १.७० एकड़, २८/१
 ३०/१ एकवा २.०० एकड़ ख० नं० ३१ एकवा १.६७ एकड़ ४ किमी एकवा १३.७० एकड़
 एवं ग्राम मकरपुर प० ४० नं० ३९ तहसील हुनुर बोपात स्थित क्षुधि भूमि ख०
 नं० ३६, ६८, ६४/१, ६४/२, ६९, १००/६६ एकवा ३ एकड़, ख० नं० ३६, ६८, ६४/१,
६४/२, ६९, १००/६६ २/१/२
 २/२/१: एकवा ३ एकड़, ख० नं० ३६, ६८, ६४/१, ६४/२, ६९, १००/६६
 २/३/१

8/ प्रमाण' से उपर्युक्त गणितियों एवं गणितिक के प्रतिनिधित्व से स्पष्ट है कि

(97)

(53)

(28)



राजप्रातिष्ठोप गांधी दिनांक 26/4/88
न्यायपालक अनुविभागोप अधिष्ठाता तहसील हुनर भोजपुर
प्रकरण क्रमांक 266/म-2/87-88
राजहर्ष गृह निर्माण सहायता समिति मर्मा 0 भोजपुर

न्यायपालक अनुविभागोप अधिष्ठाता तहसील हुनर भोजपुर म0प्र0

राजस्व प्रकरण क्रमांक 266/म-2/88

राजहर्ष गृह निर्माण सहायता समिति मर्मा 0
भोजपुर - मर्मा 0 - मर्मा 0 भोजपुर
निवर्तित भोजपुर म0प्र0

आवेदक

विररर

म0प्र0 शासन

समावेदक

आवेदक

समावेदक नु- राजस्व विधिता 1959 के धारा 172(1) के अर्न्तगत)
(गानु विनूक 26/4/88 के पौरत)

प्रकरण का सिद्धि विवरण इस प्रकार है कि आवेदक/समिति ने इस न्यायपालक के समक्ष एक आवेदन पत्र इस मांग का प्रस्तुत किया कि ग्राम नवापुरा प0प्र0 38, तहसील हुनर जिला भोजपुर स्थित कृषि भूमि क्षेत्र क्रमांक 61/1 रकबा 3-50 एकड़ का व्यवर्तन गांधीय प्रयोजन हेतु किया जाये। प्रकरण पंच प्रतिवेदन हेतु अधीक्षक नु- अधिलेख पौरचित भूमि जिला भोजपुर को भेजा गया। अधीक्षक नु- अधिलेख पौरचित भूमि जिला भोजपुर ने प्रकरण म0प्र0 नु- राजस्व विधिता 1959 के धारा 172(1) के अर्न्तगत प्रतीति कर पंच प्रतिवेदन सहित इस न्यायपालक के प्रस्तुत किया।

2/- प्रकरण में उपलब्ध द्वारा प्रति वर्ष 1987-88 से स्वयं है कि आवेदक/समिति राजस्व अधिलेखों में पुरनाचीन भूमि के भूमिस्वामी के रूप में अर्जित है। आवेदक/समिति का प्रतीति क्रमांक डी0आर0बी0318 दिनांक 8/2/83 है। फ्लैट्टर भोजपुर से फ्लैट्टर क्रमांक 9/रोडर/85 दिनांक 4/6/85 द्वारा प्रतीति कर लिया है। आवेदक/समिति ने नगर तथा ग्राम निवेश के पत्र क्रमांक 2054 दिनांक 26/8/87 को कोटोकारी प्रस्तुत की है, जिसमें उक्त भूमि विपस योजना से बाहर होने से (राजस्व अधिलेख) कृषि भूमि के रूप में उपयोग के प्रस्ताव न होने का उत्तेजीक्य गया है। आवेदक/समिति ने ग्राम प्रचाका बैरागहोको से पत्र क्रमांक 12/4/88 प्राप्त किया है जिसमें प्रमाणीन भूमि के गांधीय प्रयोजन हेतु सहायता देने हुए तेजाऊत पान स्वीकृत किया है जो इस न्यायपालक द्वारा स्वीकृत किया गया। आवेदक/समिति द्वारा विपस कल्प हेतु रुपये 3,66,000/- का प्रस्तुत किया है, जिसका कि 1/5 भाग रुपये 73,200/- (तिहेतर हजार दो सौ रुपये मात्र) होता है। आवेदक/समिति ने रुपये 18,300/- गठार हजार तीन सौ रुपये मात्र) का प्रस्ताव दिवाजिद रसोद क्रमांक बी-357055 दिनांक 25/4/1988 द्वारा सेवक के अफ डीपिड टो0टो0नगर शाखा भोजपुर में जमा कराते हुए रसोद प्रस्तुत की है, जो कि विकास व्यव के राशि का 5 प्रतिशत है। रोड राशि के संबंध में आवेदक/समिति ने जमानतवार प्रमाणवत्प बाजपेयो आ 0 की बन्तवत्प बाजपेयो को ग्राम नवापुरा स्थित कृषि भूमि एवं (2) राजस्व गृह निर्माण सहायता समिति मर्मा 0 भोजपुर के ग्राम नवापुरा स्थित भूमि को जमानते प्रस्तुत की है, जो स्वीकार की जाती है। अधीक्षक नु- अधिलेख पौरचित भूमि जिला भोजपुर ने प्रस्तावित व्यवर्तन करने की अनुमति की है।

MX

27/4/88
राजस्व विधिता



3/ उपर्युक्त विवेचना के आधार पर आवेदन/वेध के पक्ष में मांगीयत व्यपवर्तन घोषणा को धारा 172(1) के अन्तर्गत सम्पत्तिगत राशियों के अधीन अनुमत किया जाना आवेगा कि या जाता है।

- (अ) विकस्य कर्य अनुमोदित से बाजट के अनुसार वेध/वेध तीन में पूर्ण करना होगा।
- (ब) उपर्युक्त भूमि पुन निर्धारण मू-राजस्व 7787/- रुपये वर्ष 87-88 से प्रस्तावित किया जाता है।
- (घ) ग्रामाधीन क्षेत्र मगर निगम सीमा से बाहर एवं प्रथम क्षेत्र मगर के अन्तर्गत न होने से प्रथम क्षेत्र से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।
- (ङ) उक्त भूमि का वीर मू-राजस्व तदनुसार कम किया जाना आवेगा कि या जाता है।



4/ यह मांगी जान, दिनांक 26/4/88 को मेरे इलाखर एवं न्यायालय मूहा से प्रसारित किया गया।

हस्ता/-

(मार्को एत0शर्मा)

मुख्य प्रशासिक अधिकारी तहसील जुरा
 27/4/88
 मुख्य प्रशासिक अधिकारी
 तहसील जुरा

1	मांगीय पत्र मांगी दिनांक	28/2/77
2	आवेदन को सी मांगी दिनांक	28/4/87
3	दिनांक दिनांक दिनांक	27/4/87
4	मांगीय पत्र (मांगीय पत्र) दिनांक	27/4/87
5	मांगीय पत्र (मांगीय पत्र) दिनांक	27/4/87
6	मांगीय पत्र (मांगीय पत्र) दिनांक	27/4/87
7	मांगीय पत्र (मांगीय पत्र) दिनांक	27/4/87
8	मांगीय पत्र (मांगीय पत्र) दिनांक	27/4/87
9	मांगीय पत्र (मांगीय पत्र) दिनांक	27/4/87
10	मांगीय पत्र (मांगीय पत्र) दिनांक	27/4/87
11	मांगीय पत्र (मांगीय पत्र) दिनांक	27/4/87
12	मांगीय पत्र (मांगीय पत्र) दिनांक	27/4/87

27/4/88
 मुख्य प्रशासिक अधिकारी
 तहसील जुरा



सत्यप्रतिलिपि आदेश दिनांक 23/7/88
 न्यायालय अनुविभागोप अधीक्षारी तहसील हुजूर भीरात
 प्रकरण क्रमांक 331/अ-2/87-88
 राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति मण्डित विरह नम्र 08 सातन

न्यायालय अनुविभागोप अधीक्षारी तहसील हुजूर भीरात (म०प्र०)

राजस्व प्रकरण क्रमांक 331/अ-2/87-88

राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति मण्डित

भीरात द्वारा - ~~अपवाद~~ ~~या~~ ~~अपवाद~~

निवासी टी०टी० नगर भीरात - - - - - आवेदक

विरह

म०प्र० सातन - - - - - अनावेदक

आदेश

(सत्यप्रकाश नं०- राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत)

: अल दिनांक 23/7/88 को शरितः

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक/समिति ने इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस अंश पर प्रस्तुत किया कि ग्राम गेहूँदेडा म०प्र० न० 38, तहसील हुजूर भीरात स्थित कृषि भूमि खसरा क्रमांक 43/2/1, 28/1, 28/2, 38, 39/1 कुल क्षेत्रफल 15-89 एकड़ का व्यवपत्तन आवेदनीय प्रवेदन हेतु किया जाये। प्रकरण जब इतिवेदन हेतु अधीक्षक नृ-अमितेख शरितर्तित भूमि जिला भीरात को भेजा गया। अधीक्षक नृ-अमितेख शरितर्तित भूमि जिला भीरात ने प्रकरण म०प्र० नृ- राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत पंजीयन का जब इतिवेदन सहित इस न्यायालय को प्रस्तुत किया।

2/ प्रकरण में उपलब्ध खसरा प्रति वर्ष 1987-88 से स्पष्ट है कि आवेदक/समिति अधिलेखों में ग्रनाप्तेन भूमि के भूमिस्वामी के रूप में अंकित है। आवेदक/समिति का पंजीयन क्रमांक डी०आर०बी०318 दिनांक 6/2/83 है। आवेदक/समिति ने कालोनी स्थापना हेतु कालोनाईजर्स लाप्सेस क्रमांक 9/रोडर/85 दिनांक 4/6/85 जिला भीरात से प्राप्त किया है, जिसको कोर्टो प्रति प्रकरण में संलग्न है। तब नगर तहसील ग्राम गेहूँदेडा भीरात के पत्र क्रमांक 1222/न०प्र० गे०/38 दिनांक 2/7/88 द्वारा लेख किया गया है कि समिति द्वारा आवेदनीय विकास दिने इसका पालन को कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम प्रिचापत बेरागट पीछो में अनेक दिनांक 15/6/88 द्वारा उक्त भूमि का अभिप्रास स्वीकृत करते हुए अनावेदक/समिति पत्र दिनांक है, जो इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जाता है। आवेदक/समिति ने विकास कार्य हेतु रुपये 5,30,000/- (पांच लाख तीस हजार रुपये मात्र) का स्टीमेट प्रस्तुत किया है। जिसका कि 1/5 भाग रुपये 1,06,000/- (एक लाख छह हजार रुपये मात्र) होता है। आवेदक/समिति ने विकास व्यय की पूर्ति हेतु



DISTY CHONG

3

गिरानंददा

(95)

(45)

(26)



प्रत्यक्ष निरीक्षण दिनांक 22/5/87
 राजस्व प्रकरण क्रमंक 79/म-2/86-87
 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुनुर, सोपल
 राजस्व एवं निर्माण सहसंयोजकता समिति सोपल जिला मोगरा जिला

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुनुर, सोपल

राजस्व प्रकरण क्रमंक 79/म-2/86-87

राजस्व एवं निर्माण सहसंयोजकता समिति (मोगरा)
 सोपल जिला मोगरा की प्रशासनिक
 जानकारी निम्न सोपल

आवेदक

जिला

मोगरा जिला

आवेदक

संकेत

(मोगरा जिला हुनुर संविधान की धारा 172(1) के अन्तर्गत)

आम दिनांक 22/5/87 को जारी

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक समिति ने इस
 न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस भाव्य प्रस्तुत किया कि ग्राम नवापुरा
 पंचायती राजका मन्तर 38 तहसील हुनुर सोपल जिला जमीन खसरा क्र. 61/2/2/2/1
 61/2/2/2/3/1, 30/2, 66/2, 68/2, 69, 70, 55/1 एवं 55/2 6 किता
 कुल रकबा 17.24 एकड़ का स्वयंसेवक आवासीय प्रयोजन हेतु किया जाये। प्रकरण
 बीच प्रतिवेदन हेतु मोगरा जिला न्यायालय परियोजना जमीन सोपल की चेता गया।
 इनही प्रकरण मोगरा जिला हुनुर संविधान 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत ईनीयक
 कर बीच प्रतिवेदन सहित इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण में उपलब्ध खसरा प्रतिवेदन 86-87 के अन्तर्गत है कि आवेदक
 समिति राजस्व बोर्ड में प्रस्तावित जमीन के दामि रवासी के रूप में संश्लिष्ट है।
 आवेदक समिति का ईनीयक क्रमंक डी०आर०डी०/318 दिनांक 8/2/83 है आवेदक समिति
 ने मोगरा जिला न्यायालय मोगरा जिला 1982 की धारा 24 के अन्तर्गत
 कांतीनी स्थापना हेतु लायिन्स प्लेक्टर सोपल क्रमंक 9/रीडर/85 दिनांक 4/6/85
 प्राप्त कर किया है संयुक्त संघ। नगर तथा ग्राम निवासी सोपल के पक्ष क्रमंक
 429/विपक्ष/नगर/ग्राम नि०/84 दिनांक 11/1/85 के अनुसार उक्त ग्राम सोपल
 विकास योजनाओं से बाहर है इस प्रकार सोपल विकास प्राधिकरण की भी कोई
 योजना इस मामले में नहीं है। नगर ग्राम सोपल के पक्ष क्रमंक 678/विपक्ष/85
 दिनांक 18/4/85 के अनुसार उक्त ग्राम नगर निगम सीमा के अन्तर्गत नहीं है ग्राम
 विकास क्षेत्रों में सीमा के पक्ष क्रमंक 1/3/87 के अनुसार उक्त जमीन का
 आवासीय उपयोग हेतु नहीं

RECEIVED
 22 MAY 1987
 DISTRICT OFFICE
 MOGRA

AN

(2)

विशेष 1/5 भाग 3, 49, 400 रुपा (तीन सप्ताह उन्वात द्वार बार दो)
 संख्या द्वारा 80 34, 928 रु पा पिछा डिपॉजिट सेंट्स बैंक नाक इन्फिटा टी0टी0नगर
 द्वारा कोपल में बना फले हुए रसीद प्रमाण 001792 दिनांक 28/5/87 प्रस्तुत की
 गई है जो प्रकरण में ध्यान की गई है और बताना संख्या द्वारा वसूलतद्वार राजस्व
 पुट निर्माण सहयोगिता कोपल की ग्राम रतनपुर सहक में स्थिति कुंमि रफिया 3-24
 एकड़ एवं (2) धर्मन फलान पुट निर्माण सहयोगिता सहयोगिता कोपल की ग्राम
 कचरपुरा की कुंमि 10-00 एकड़ की वसूलत विकास व्यव की पूर्ति की गई है जो
 स्वीकृत की जाती है । अतः यह निवेदन (परि० २०११) कोपल ने प्रस्तावित व्यव
 परिवर्तन करने की अनुमति की जाती है ।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर बायेंक समिति के पक्ष में बायेंक
 व्यवस्थापन समिति की धारा 173(1) के अन्तर्गत समिति के पक्ष में निम्नलिखित बातों
 के अंगीकार की जाना आवश्यक किया जाता है :-

(अ) बायेंक समिति को विकास व्यव की एक रसीद 52, 420 रु
 (बायेंक द्वारा बार दो बार 21 मास) अर्थात् परिवर्तन होने के दिनांक से तीन
 मास के भीतर अनिवार्य रूप से देना कराना होगा । तब विकास व्यव की रसीद
 36 प्रतिशत की रहे ।

(ब) बायेंक समिति द्वारा अनुमोदित लेखापत्र में कोई परिवर्तन नहीं करेगा ।
 वार्षिक प्रविष्टि, वसूलत में कटौत तथा अन्य भ्रष्टाचार करने पर अनुमति
 निरस्त कर दी जायेगी । समिति को विकास कार्य निम्न तीन वर्ष में पूरा करना होगा

(ग) ग्राम कचरपुरा की वसूलत को ^{सहयोगिता} से कम होने के कारण यह राजस्व
 समिति की धारा 39(5) के अन्तर्गत प्रत्यक्ष से मुका की जाती है ।

(घ) बायेंक समिति के विकास प्रस्तावित व्यवस्थापन के संवेदन में पुनः निषेधित
 राजस्व 24, 407/- (चौबीस हजार बार दो सप्त रुपाये) वर्ष 86-87 से
 कसम किया जाकर तदनुसार उधका कुंमि 8 राजस्व समाप्त किया जाता है ।

4/ यह बायेंक आज दिनांक 28/5/87 को मेरे हस्ताक्षर से स्वास्तपीन
 मुद्रा से प्रमाणित किया गया ।

सही/-

(बार० एवं ० अमी)
 अनुविभागीय अधिकारी,
 तहसील इन्दूर, कोपल

सत्यमेव जयते

28/5/87

मुख्य अधिकारी कोपल

- 1) प्राथमिक पत्र ... 23-5-87
- 2) जलेश्वर को दी गई ... 25-5-87
- 3) विगत ... 23-5-87
- 4) ...
- 5) ...
- 6) ...
- 7) ...
- 8) ...
- 9) ...
- 10) ... 23-5-87
- 11) ...
- 12) ...

पतिलिपिका मिशनरिया मुख्याधिकारि

(92)

45

(23)

संलग्नित लिपि आदेश दिनांक 20/4/89

न्यायालय अनुक्रमांश अधिकारी, तहसील हुजर भोपाल
प्रकरण क्रमांक 51/अ-2/88-89

राजस्व भू-निर्माण सहकारी समिति विरुद्ध शासन

न्यायालय अनुक्रमांश अधिकारी, तहसील हुजर भोपाल म.प्र.

राजस्व प्रकरण क्रं 51/अ-2/88-89

राजस्व भू-निर्माण सहकारी समिति म्यादित,

भोपाल म.प्र. 51/अ-2/88-89 द्वारा अ.स. 310 एस 0 वाज्येयी,

निवासी भोपाल म.प्र. 51/अ-2/88-89 - - - - - वादेदक

विरुद्ध

म.प्र. शासन - - - - - कादेदक

आदेश

म.प्र. प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत

आज दिनांक 20/4/89

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादेदक/समिति ने पर न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस तथ्य पर प्रस्तुत किया कि ग्राम दामपेड़ा प. 80 नं. 39, तहसील हुजर जिला भोपाल स्थित भूमि प्लॉट क्रं 9/3/1 रकबा 4-18 एकड़ का अपवर्तन आवासीय प्रयोजन हेतु किया जाये। प्रकरण आज प्रत्येदन हेतु अधीनस्थ भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला भोपाल को भेजा गया। अधीनस्थ भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला भोपाल ने प्रकरण म.प्र. 51/अ-2/88-89 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत पंजीकृत कर आज प्रत्येदन संहिता पर न्यायालय को प्रस्तुत किया।

2/- प्रकरण में उपलब्ध पुराना प्रति का 1988-89 से स्पष्ट है कि आवेदक/समिति राजस्व अभिलेखों में प्रनाधीन भूमि के भूमिस्वामी के रूप में अंकित है। आवेदक/समिति का पंजीयन क्रमांक डी 0 आर 0 बी 0 318 दिनांक 6/2/83 है। आवेदक/समिति ने कलेक्टर भोपाल से फांसी की स्थापना हेतु माफसेस क्रमांक 9/रीडर/85 दिनांक 4/6/85 प्राप्त किया है, जिसकी

(93)

116

:: 2 ::

जिसकी जाया प्रति प्रकरण में संलग्न है । नगर एवं ग्रामीण
नियोजन निवेश विभागात्मक भोपाल के पत्र क्रमांक 4638/
41203/2587/नग 300 नि० दिनांक 20/4/82 में लेख किया
है कि उक्त भूमि शासन द्वारा स्वीकृत भोपाल विधानसभा क्षेत्र
क्षेत्र एवं निवेश क्षेत्र से बाहर आती है । संरक्षण ग्राम पंचायत
द्वारा गृह मंत्री ने जाने पत्र दिनांक 20/3/89 द्वारा अभिव्यास
स्वीकृत करते हुए अनापूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जो
प्रकरण में संलग्न है । संस्था ने विकास व्यय हेतु रुपये
2,54,478/- । दो लाख चौवन हजार चार सौ अठ्ठावत्तर
रुपये मात्र । का प्रस्तुत किया है, जिसका कि 1/3 भाग
रुपये 50,895/- । पचास हजार आठ सौ पचचान्च रुपये
मात्र होता है । आदेशक/संस्था ने इलाहाबाद बैंक माता
मंदिर भोपाल में फिक्स डिपोजिट रसीद क्रमांक 757837/
40/82 दिनांक 29/3/89 द्वारा रुपये 12,750/- । बाहर
हजार आठ सौ पचास रुपये मात्र । जमा कराते हुए रसीद
प्रस्तुत की है, उक्त राशि विकास व्यय का 3 प्रतिशत है ।
रसीद प्रकरण में संलग्न है । शेष राशि के संबंध में आदेशक/
संस्था ने जमानदार 18 भगवन्ता आ० लन्गुराम का ग्राम
रत्नपुर स्थित 3-94 एकड़ एवं 28 ब्रम्हस्वरूप वाज्जेयी आ०
शान्तधाम की ग्राम वैराग्यधीधली स्थित 10-00 एकड़ की
जमानगी प्रस्तुत की है, जो सा न्यायालय द्वारा स्वीकृत की
जाती है ।

3/- उपर्युक्त विवेचना के आधार पर आदेशक/समिति के पक्ष
में आदेशित आधारित भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा
172(1) के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाता
है ।

1. आदेशक/समिति की ग्राम दामोदर स्थित भूमि 80 5/10
9/3/1 रकबा 4-16 एकड़ पर निवासाय घर 3-25
वैसे प्रति 100 वर्गफुट के मान से 178596 वर्गफुट पर
रासे 5804/- एवं व्यक्तायिक दर 9-70 वैसे प्रति
100 वर्गफुट के मान से 2614/- वर्गफुट पर 254/- रुपये
कुल 6058/- रुपये वर्ष 88-89 से पुनर्निर्धारण भू-राजस्व व
यिगा जाकर गलका कृषि राजस्व रुपये 5-65 वैसे

94

117

95

// 3 //

समाप्त किया जाता है ।

॥व॥ ग्राम दामोदर की बाबादी 2000 से कम होने से प्रक्याजि से मुक्त किया जाता है ।

॥स॥ ग्रामीण एवं नगर निवेश भोपाल से अभिम्यास स्वीकृत कराना होगा समिति पर्यावरण के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगी ।

4/- यह आदेश आज दिनांक 20/4/89 को मेरे हस्ताक्षर पर द्याया गया है मुद्रा से जारी किया गया ।

हस्ताक्षर/-
वनविभागीय अधिकारी
राजसील, इंदूर, भोपाल

21/4/89

21/4/89

21/4/89

24/4/89

21/4/89

21/4/89

21/4/89

21/4/89

4/-

21/4/89

Amal

Amal

उत्पत्तिलिपि तारीख दिनांक १६-१२-८६ प्र० क्र० २१-८६-८७
 न्यायालय कुविभागीय अधिकारी, तख्तोठ झुर निहा मौपाठ (म० प्र०)
 राजस्व गृह निर्माण एकादरी समिति म्यादिस्त मौपाठ द्वारा श्री क्रमस्वरूप
 बावपेयी -- आवेदन -- विहद -- म० प्र० जावन -- आवेदन --

न्यायालय कुविभागीय अधिकारी तख्तोठ झुर, मौपाठ

राजस्व प्रकरण क्र० २१-८६-८७

राजस्व गृह निर्माण एकादरी समिति

म्यादिस्त मौपाठ द्वारा - श्री क्रमस्वरूप बावपेयी

निवाणे - मौपाठ ----- बावपेदन

विहद

मध्य प्रदेश जावन ----- आवेदन

::: आ. के. ए. :::

(म० प्र० मु-राजस्व एकादरी का धारा १७२(१) के अन्तर्गत)

(बाव दिनांक १६-१२-८६ को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि बावपेदन समिति ने
 जमीन कमीशन, ग-अभिलेख (परिवर्तित भूमि) मौपाठ के एक एक बावपेदन
 पत्र इस बाबत का प्रस्तुत किया था कि ग्राम दामवेड़ा पटवारी हल्का नं० ३६
 तख्तोठ झुर निहा मौपाठ स्थित कृषि भूमि द्वारा क्र० १६।१।१ एवं ६।१।१
 कुल क्षेत्रफल २० एकड़ का व्यवर्तन बावपेदारी प्रयोजन हेतु किया जाय ।
 जमीन कमीशन (परिवर्तित भूमि) मौपाठ ने प्रकरण ' म० प्र० मु-
 राजस्व एकादरी, १६ के धारा १७२(१) के अन्तर्गत पंजीकृत कर बाव
 प्रतिवेदन उचित इस न्यायालय को प्रेषित किया ।

२. प्रकरण में उपलब्ध द्वारा प्रति वर्ष १६-८६-८७ से स्पष्ट है कि बावपेदन
 समिति राजस्व अभिलेख में प्रस्तापीन भूमि के भूमिस्वामा के रूप में व्यक्त है।
 प्रस्तापीन ग्राम नगर निगम, मौपाठ से बाहर स्थित है। बावपेदन समिति का
 पंजीयन क्र० ६० वार० बी० ३१८ दिनांक ८-२-८६ है। बावपेदन समिति ने
 म० प्र० विनिर्दिष्ट प्रष्ट बावपेदन अधिनियम, १६८२ की धारा २४ के अन्तर्गत
 कलेक्टर मौपाठ से कालीना स्थापना हेतु लायसेंस क्र० ६।१।१।१ क्रमांक -
 ४-३-१६८२ प्राप्त कर लिया है। संवातक ग्राम एवं नगर निगम मौपाठ ने
 लासेंस पत्र क्र० ५५५ दिनांक २० मार्च ८६ दिनांक १४-२-८६ द्वारा जमान

C
H/II

FOR COPYING FEES ONLY
FOR COPYING FEES ONLY

----- 2 -----

संयुक्त योजना में वारंजित नहीं है। मौपल विकास प्राधिकरण ने कने पत्र क्र० आ.पि० प्र० ४०८५ दिनांक ८-७-७५ द्वारा कोई योजना होना नहीं करवाया है। नगर निगम मौपल ने कने पत्र क्र० ६९। नि० पि० ४०८५ दिनांक ७-१०-८६ द्वारा उक्त भूमि का भूमि परिवर्तन किए जाने में कोई वापपि नहीं होना करवाया है। ग्राम पंचायत बेरागढ़ बोचला ने कने पत्र दिनांक ७-८-७५ द्वारा उक्त भूमि का वापस उपयोग हेतु वापस। ठे-वाउट स्वीकृत करते हुए कुंठा को है, जो इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया। प्रस्तापन कालीका का विकास व्यय रु० २४,१५,२००। - (बाँबीस लाख, पन्द्रह हजार दो सौ रुपये मात्र) प्रस्तापित किया है। इसका विकास व्यय का २० प्रतिशत रु० ४,८२,०४०। - (चार लाख तिरतालीस हजार नालीस रुपये) मात्र शीवा है जिसके विरुद्ध वापस समिति ने सेंट्रल के बाफ इण्डिया बाबा टी० टी० नगर मौपल में रु० २४,१६०। - (बाँबीस हजार एक सौ छठ) मात्र का विकास दिपावित। खोद क्र० ३५१६,६५ दिनांक १६-१२-८८ द्वारा संक्षिप्त को धारा १७२ के कर्तव्य को नियमों के नियम ४(२) के कर्तव्य किया है। शेष राशि के संबंध में जावेदक समिति ने नमानतदार (१) रावदेव गृह निर्माण एह० समिति करी० मौपल का ग्राम रतनपुर स्थित भूमि ३-६४ एकड़ एवं (२) ब्रह्मस्वरूप बाबूकेरी का ग्राम मर्यापदिया स्थित भूमि एकड़ ११-४५ एकड़ की समाप्त प्रस्तुत की है, जो स्वीकृत की जाती है। कोइक मु-वमिजे (परि-मर्तित भूमि) मौपल ने प्रस्तापन भूमि का व्यवर्तन करने की कुमति दिए जाने का वक्तव्य का है।

२. संयुक्त विवेचना के आधार पर जावेदक समिति के पक्ष में, जावेदित व्ययवर्तन संक्षिप्त का धारा १७२(१) के कर्तव्य निम्नलिखित बातों के अंगीन कुमति किया जाना जावेदित किया जाता है :-

- (ब) ठे-वाउट प्लान में कोई परिकल्पना नहीं किया जाकेगा। सार्वजनिक विस्तार सुविधा, प्रकाश, बिजली, कलप्रदाय बाँद समिति को निम्नकारो होगी।
- (ब) व्यवर्तन भूमि का विकास तीन वर्षों का समयापिधि में किया जाना होगा।

440

(घ)

जावेदक उमिति के विरुद्ध प्रस्तापन अपवर्तन के संबंध में पुन-
निर्धारित म-रानस्व रु० १८५४-०० (ब्यठारस ह्मार वोन धो
बांदरु रुक्य) वष १८८६-८७ से कायम किया जाकर तदनुसार
रुपि म-रानस्व , म-रानस्व कम किया जाता है। ग्राम वामकेडा
नगर निगम क्षेत्र से बाहर होने तथा वोरान ग्राम होने से तब
संविता का धारा ५८(१) के कर्तव्य प्रत्यानि से मुक्त किया
जाता है।

CANCELLED

यह वादेक तब धिक् १६-१२-८६ को मरी हत्तासार २४
न्यायालयान मुद्रा से छुटे न्यायालय में प्रचारित किया गया।

सहा। -

कुविभागोय अधिकारी,
तहसील हुजूर, मोपाठ.

५० ५० । प्रवा-१। ८६
प्रतिष्ठिपि: -

मोपाठ, दिनांक १६-१२-८६

तहसीलदार, (तहसील हुजूर, पिता मोपाठ को और सूचनाय
२४ जानराक कार्यवाजी हेतु प्रेषित।

सहा। -

कुविभागोय अधिकारी,
तहसील हुजूर, मोपाठ.

9.12.86
24/12/86
27/12/86
28/12/86
29/12/86
30/12/86
31/12/86
1/1/87
2/1/87
3/1/87
4/1/87
5/1/87
6/1/87
7/1/87
8/1/87
9/1/87
10/1/87
11/1/87
12/1/87
13/1/87
14/1/87
15/1/87
16/1/87
17/1/87
18/1/87
19/1/87
20/1/87
21/1/87
22/1/87
23/1/87
24/1/87
25/1/87
26/1/87
27/1/87
28/1/87
29/1/87
30/1/87
31/1/87
1/2/87
2/2/87
3/2/87
4/2/87
5/2/87
6/2/87
7/2/87
8/2/87
9/2/87
10/2/87
11/2/87
12/2/87
13/2/87
14/2/87
15/2/87
16/2/87
17/2/87
18/2/87
19/2/87
20/2/87
21/2/87
22/2/87
23/2/87
24/2/87
25/2/87
26/2/87
27/2/87
28/2/87
29/2/87
30/2/87
31/2/87
1/3/87
2/3/87
3/3/87
4/3/87
5/3/87
6/3/87
7/3/87
8/3/87
9/3/87
10/3/87
11/3/87
12/3/87
13/3/87
14/3/87
15/3/87
16/3/87
17/3/87
18/3/87
19/3/87
20/3/87
21/3/87
22/3/87
23/3/87
24/3/87
25/3/87
26/3/87
27/3/87
28/3/87
29/3/87
30/3/87
31/3/87
1/4/87
2/4/87
3/4/87
4/4/87
5/4/87
6/4/87
7/4/87
8/4/87
9/4/87
10/4/87
11/4/87
12/4/87
13/4/87
14/4/87
15/4/87
16/4/87
17/4/87
18/4/87
19/4/87
20/4/87
21/4/87
22/4/87
23/4/87
24/4/87
25/4/87
26/4/87
27/4/87
28/4/87
29/4/87
30/4/87
31/4/87
1/5/87
2/5/87
3/5/87
4/5/87
5/5/87
6/5/87
7/5/87
8/5/87
9/5/87
10/5/87
11/5/87
12/5/87
13/5/87
14/5/87
15/5/87
16/5/87
17/5/87
18/5/87
19/5/87
20/5/87
21/5/87
22/5/87
23/5/87
24/5/87
25/5/87
26/5/87
27/5/87
28/5/87
29/5/87
30/5/87
31/5/87
1/6/87
2/6/87
3/6/87
4/6/87
5/6/87
6/6/87
7/6/87
8/6/87
9/6/87
10/6/87
11/6/87
12/6/87
13/6/87
14/6/87
15/6/87
16/6/87
17/6/87
18/6/87
19/6/87
20/6/87
21/6/87
22/6/87
23/6/87
24/6/87
25/6/87
26/6/87
27/6/87
28/6/87
29/6/87
30/6/87
31/6/87
1/7/87
2/7/87
3/7/87
4/7/87
5/7/87
6/7/87
7/7/87
8/7/87
9/7/87
10/7/87
11/7/87
12/7/87
13/7/87
14/7/87
15/7/87
16/7/87
17/7/87
18/7/87
19/7/87
20/7/87
21/7/87
22/7/87
23/7/87
24/7/87
25/7/87
26/7/87
27/7/87
28/7/87
29/7/87
30/7/87
31/7/87
1/8/87
2/8/87
3/8/87
4/8/87
5/8/87
6/8/87
7/8/87
8/8/87
9/8/87
10/8/87
11/8/87
12/8/87
13/8/87
14/8/87
15/8/87
16/8/87
17/8/87
18/8/87
19/8/87
20/8/87
21/8/87
22/8/87
23/8/87
24/8/87
25/8/87
26/8/87
27/8/87
28/8/87
29/8/87
30/8/87
31/8/87
1/9/87
2/9/87
3/9/87
4/9/87
5/9/87
6/9/87
7/9/87
8/9/87
9/9/87
10/9/87
11/9/87
12/9/87
13/9/87
14/9/87
15/9/87
16/9/87
17/9/87
18/9/87
19/9/87
20/9/87
21/9/87
22/9/87
23/9/87
24/9/87
25/9/87
26/9/87
27/9/87
28/9/87
29/9/87
30/9/87
31/9/87
1/10/87
2/10/87
3/10/87
4/10/87
5/10/87
6/10/87
7/10/87
8/10/87
9/10/87
10/10/87
11/10/87
12/10/87
13/10/87
14/10/87
15/10/87
16/10/87
17/10/87
18/10/87
19/10/87
20/10/87
21/10/87
22/10/87
23/10/87
24/10/87
25/10/87
26/10/87
27/10/87
28/10/87
29/10/87
30/10/87
31/10/87
1/11/87
2/11/87
3/11/87
4/11/87
5/11/87
6/11/87
7/11/87
8/11/87
9/11/87
10/11/87
11/11/87
12/11/87
13/11/87
14/11/87
15/11/87
16/11/87
17/11/87
18/11/87
19/11/87
20/11/87
21/11/87
22/11/87
23/11/87
24/11/87
25/11/87
26/11/87
27/11/87
28/11/87
29/11/87
30/11/87
31/11/87
1/12/87
2/12/87
3/12/87
4/12/87
5/12/87
6/12/87
7/12/87
8/12/87
9/12/87
10/12/87
11/12/87
12/12/87
13/12/87
14/12/87
15/12/87
16/12/87
17/12/87
18/12/87
19/12/87
20/12/87
21/12/87
22/12/87
23/12/87
24/12/87
25/12/87
26/12/87
27/12/87
28/12/87
29/12/87
30/12/87
31/12/87
1/1/88
2/1/88
3/1/88
4/1/88
5/1/88
6/1/88
7/1/88
8/1/88
9/1/88
10/1/88
11/1/88
12/1/88
13/1/88
14/1/88
15/1/88
16/1/88
17/1/88
18/1/88
19/1/88
20/1/88
21/1/88
22/1/88
23/1/88
24/1/88
25/1/88
26/1/88
27/1/88
28/1/88
29/1/88
30/1/88
31/1/88
1/2/88
2/2/88
3/2/88
4/2/88
5/2/88
6/2/88
7/2/88
8/2/88
9/2/88
10/2/88
11/2/88
12/2/88
13/2/88
14/2/88
15/2/88
16/2/88
17/2/88
18/2/88
19/2/88
20/2/88
21/2/88
22/2/88
23/2/88
24/2/88
25/2/88
26/2/88
27/2/88
28/2/88
29/2/88
30/2/88
31/2/88
1/3/88
2/3/88
3/3/88
4/3/88
5/3/88
6/3/88
7/3/88
8/3/88
9/3/88
10/3/88
11/3/88
12/3/88
13/3/88
14/3/88
15/3/88
16/3/88
17/3/88
18/3/88
19/3/88
20/3/88
21/3/88
22/3/88
23/3/88
24/3/88
25/3/88
26/3/88
27/3/88
28/3/88
29/3/88
30/3/88
31/3/88
1/4/88
2/4/88
3/4/88
4/4/88
5/4/88
6/4/88
7/4/88
8/4/88
9/4/88
10/4/88
11/4/88
12/4/88
13/4/88
14/4/88
15/4/88
16/4/88
17/4/88
18/4/88
19/4/88
20/4/88
21/4/88
22/4/88
23/4/88
24/4/88
25/4/88
26/4/88
27/4/88
28/4/88
29/4/88
30/4/88
31/4/88
1/5/88
2/5/88
3/5/88
4/5/88
5/5/88
6/5/88
7/5/88
8/5/88
9/5/88
10/5/88
11/5/88
12/5/88
13/5/88
14/5/88
15/5/88
16/5/88
17/5/88
18/5/88
19/5/88
20/5/88
21/5/88
22/5/88
23/5/88
24/5/88
25/5/88
26/5/88
27/5/88
28/5/88
29/5/88
30/5/88
31/5/88
1/6/88
2/6/88
3/6/88
4/6/88
5/6/88
6/6/88
7/6/88
8/6/88
9/6/88
10/6/88
11/6/88
12/6/88
13/6/88
14/6/88
15/6/88
16/6/88
17/6/88
18/6/88
19/6/88
20/6/88
21/6/88
22/6/88
23/6/88
24/6/88
25/6/88
26/6/88
27/6/88
28/6/88
29/6/88
30/6/88
31/6/88
1/7/88
2/7/88
3/7/88
4/7/88
5/7/88
6/7/88
7/7/88
8/7/88
9/7/88
10/7/88
11/7/88
12/7/88
13/7/88
14/7/88
15/7/88
16/7/88
17/7/88
18/7/88
19/7/88
20/7/88
21/7/88
22/7/88
23/7/88
24/7/88
25/7/88
26/7/88
27/7/88
28/7/88
29/7/88
30/7/88
31/7/88
1/8/88
2/8/88
3/8/88
4/8/88
5/8/88
6/8/88
7/8/88
8/8/88
9/8/88
10/8/88
11/8/88
12/8/88
13/8/88
14/8/88
15/8/88
16/8/88
17/8/88
18/8/88
19/8/88
20/8/88
21/8/88
22/8/88
23/8/88
24/8/88
25/8/88
26/8/88
27/8/88
28/8/88
29/8/88
30/8/88
31/8/88
1/9/88
2/9/88
3/9/88
4/9/88
5/9/88
6/9/88
7/9/88
8/9/88
9/9/88
10/9/88
11/9/88
12/9/88
13/9/88
14/9/88
15/9/88
16/9/88
17/9/88
18/9/88
19/9/88
20/9/88
21/9/88
22/9/88
23/9/88
24/9/88
25/9/88
26/9/88
27/9/88
28/9/88
29/9/88
30/9/88
31/9/88
1/10/88
2/10/88
3/10/88
4/10/88
5/10/88
6/10/88
7/10/88
8/10/88
9/10/88
10/10/88
11/10/88
12/10/88
13/10/88
14/10/88
15/10/88
16/10/88
17/10/88
18/10/88
19/10/88
20/10/88
21/10/88
22/10/88
23/10/88
24/10/88
25/10/88
26/10/88
27/10/88
28/10/88
29/10/88
30/10/88
31/10/88
1/11/88
2/11/88
3/11/88
4/11/88
5/11/88
6/11/88
7/11/88
8/11/88
9/11/88
10/11/88
11/11/88
12/11/88
13/11/88
14/11/88
15/11/88
16/11/88
17/11/88
18/11/88
19/11/88
20/11/88
21/11/88
22/11/88
23/11/88
24/11/88
25/11/88
26/11/88
27/11/88
28/11/88
29/11/88
30/11/88
31/11/88
1/12/88
2/12/88
3/12/88
4/12/88
5/12/88
6/12/88
7/12/88
8/12/88
9/12/88
10/12/88
11/12/88
12/12/88
13/12/88
14/12/88
15/12/88
16/12/88
17/12/88
18/12/88
19/12/88
20/12/88
21/12/88
22/12/88
23/12/88
24/12/88
25/12/88
26/12/88
27/12/88
28/12/88
29/12/88
30/12/88
31/12/88
1/1/89
2/1/89
3/1/89
4/1/89
5/1/89
6/1/89
7/1/89
8/1/89
9/1/89
10/1/89
11/1/89
12/1/89
13/1/89
14/1/89
15/1/89
16/1/89
17/1/89
18/1/89
19/1/89
20/1/89
21/1/89
22/1/89
23/1/89
24/1/89
25/1/89
26/1/89
27/1/89
28/1/89
29/1/89
30/1/89
31/1/89
1/2/89
2/2/89
3/2/89
4/2/89
5/2/89
6/2/89
7/2/89
8/2/89
9/2/89
10/2/89
11/2/89
12/2/89
13/2/89
14/2/89
15/2/89
16/2/89
17/2/89
18/2/89
19/2/89
20/2/89
21/2/89
22/2/89
23/2/89
24/2/89
25/2/89
26/2/89
27/2/89
28/2/89
29/2/89
30/2/89
31/2/89
1/3/89
2/3/89
3/3/89
4/3/89
5/3/89
6/3/89
7/3/89
8/3/89
9/3/89
10/3/89
11/3/89
12/3/89
13/3/89
14/3/89
15/3/89
16/3/89
17/3/89
18/3/89
19/3/89
20/3/89
21/3/89
22/3/89
23/3/89
24/3/89
25/3/89
26/3/89
27/3/89
28/3/89
29/3/89
30/3/89
31/3/89
1/4/89
2/4/89
3/4/89
4/4/89
5/4/89
6/4/89
7/4/89
8/4/89
9/4/89
10/4/89
11/4/89
12/4/89
13/4/89
14/4/89
15/4/89
16/4/89
17/4/89
18/4/89
19/4/89
20/4/89
21/4/89
22/4/89
23/4/89
24/4/89
25/4/89
26/4/89
27/4/89
28/4/89
29/4/89
30/4/89
31/4/89
1/5/89
2/5/89
3/5/89
4/5/89
5/5/89
6/5/89
7/5/89
8/5/89
9/5/89
10/5/89
11/5/89
12/5/89
13/5/89
14/5/89
15/5/89
16/5/89
17/5/89
18/5/89
19/5/89
20/5/89
21/5/89
22/5/89
23/5/89
24/5/89
25/5/89
26/5/89
27/5/89
28/5/89
29/5/89
30/5/89
31/5/89
1/6/89
2/6/89
3/6/89
4/6/89
5/6/89
6/6/89
7/6/89
8/6/89
9/6/89
10/6/89
11/6/89
12/6/89
13/6/89
14/6/89
15/6/89
16/6/89
17/6/89
18/6/89
19/6/89
20/6/89
21/6/89
22/6/89
23/6/89
24/6/89
25/6/89
26/6/89
27/6/89
28/6/89
29/6/89
30/6/89
31/6/89
1/7/89
2/7/89
3/7/89
4/7/89
5/7/89
6/7/89
7/7/89
8/7/89
9/7/89
10/7/89
11/7/89
12/7/89
13/7/89
14/7/89
15/7/89
16/7/89
17/7/89
18/7/89
19/7/89
20/7/89
21/7/89
22/7/89
23/7/89
24/7/89
25/7/89
26/7/89
27/7/89
28/7/89
29/7/89
30/7/89
31/7/89
1/8/89
2/8/89
3/8/89
4/8/89
5/8/89
6/8/89
7/8/89
8/8/89
9/8/89
10/8/89
11/8/89
12/8/89
13/8/89
14/8/89
15/8/89
16/8/89
17/8/89
18/8/89
19/8/89
20/8/89
21/8/89
22/8/89
23/8/89
24/8/89
25/8/89
26/8/89
27/8/89
28/8/89
29/8/89
30/8/89
31/8/89
1/9/89
2/9/89
3/9/89
4/9/89
5/9/89
6/9/89
7/9/89
8/9/89
9/9/89
10/9/89
11/9/89
12/9/89
13/9/89
14/9/89
15/9/89
16/9/89
17/9/89
18/9/89
19/9/89
20/9/89
21/9/89
22/9/89
23/9/89
24/9/89
25/9/89
26/9/89
27/9/89
28/9/89
29/9/89
30/9/89
31/9/89
1/10/89
2/10/89
3/10/89
4/10/89
5/10/89
6/10/89
7/10/89
8/10/89
9/10/89
10/10/89
11/10/89
12/10/89
13/10/89
14/10/89
15/10/89
16/10/89
17/10/89
18/10/89
19/10/89
20/10/89
21/10/89
22/10/89
23/10/89
24/10/89
25/10/89
26/10/89
27/10/89
28/10/89
29/10/89
30/10/89
31/10/89
1/11/89
2/11/89
3/11/89
4/11/89
5/11/89
6/11/89
7/11/89
8/11/89
9/11/89
10/11/89
11/11/89
12/11/89
13/11/89
14/11/89
15/11/89
16/11/89
17/11/89
18/11/89
19/11/89
20/11/89
21/11/89
22/11/89
23/11/89
24/11/89
25/11/89
26/11/89
27/11/89
28/11/89
29/11/89
30/11/89
31/11/89
1/12/89
2/12/89
3/12/89
4/12/89
5/12/89
6/12/89
7/12/89
8/12/89
9/12/89
10/12/89
11/12/89
12/12/89
13/12/89
14/12/89
15/12/89
16/12/89
17/12/89
18/12/89
19/12/89
20/12/89
21/12/89
22/12/89
23/12/89
24/12/89
25/12/89
26/12/89
27/12/89
28/12/89
29/12/89
30/12/89
31/12/89
1/1/90
2/1/90
3/1/90
4/1/90
5/1/90
6/1/90
7/1/90
8/1/90
9/1/90
10/1/90
11/1/90
12/1/90
13/1/90
14/1/90
15/1/90
16/1/90
17/1/90
18/1/90
19/1/90
20/1/90
21/1/90
22/1/90
23/1/90
24/1/90
25/1/90
26/1/90
27/1/90
28/1/90
29/1/90
30/1/90
31/1/90
1/2/90
2/2/90
3/2/90
4/2/90
5/2/90
6/2/90
7/2/90
8/2/90
9/2/90
10/2/90
11/2/90
12/2/90
13/2/90
14/2/90
15/2/90
16/2/90
17/2/90
18/2/90
19/2/90
20/2/90
21/2/90
22/2/90
23/2/90
24/2/90
25/2/90
26/2/90
27/2/90
28/2/90
29/2/90
30/2/90
31/2/90
1/3/90
2/3/90
3/3/90
4/3/90
5/3/90
6/3/90
7/3/90
8/3/90
9/3/90
10/3/90
11/3/90
12/3/90
13/3/90
14/3/90
15/3/90
16/3/90
17/3/90
18/3/90
19/3/90
20/3/90
21/3/90
22/3/90
23/3/90
24/3/90
25/3/90
26/3/90
27/3/90
28/3/90
29/3/90
30/3/90
31/3/90
1/4/90
2/4/90
3/4/90
4/4/90
5/4/90
6/4/90
7/4/90
8/4/90
9/4/90
10/4/90
11/4/90
12/4/90
13/4/90
14/4/90
15/4/90
16/4/90
17/4/90
18/4/90
19/4/90
20/4/90
21/4/90
22/4/90
23/4/90
24/4/90
25/4/90
26/4/90
27/4/90
28/4/90
29/4/90
30/4/90
31/4/90
1/5/90
2/5/90
3/5/90
4/5/90
5/5/90
6/5/90
7/5/90
8/5/90
9/5/90
10/5/90
11/5/90
12/5/90
13/5/90
14/5/90
15/5/90
16/5/90
17/5/90
18/5/90
19/5/90
20/5/90
21/5/90
22/5/90
23/5/90
24/5/90
25/5/90
26/5/90
27/5/90
28/5/90
29/5/90
30/5/90
31/5/90
1/6/90
2/6/90
3/6/90
4/6/90
5/6/90
6/6/90
7/6/90
8/6/90
9/6/90
10/6/90
11/6/9



सतष्प्रतिलिपि आदेश दिनांक 23/7/88
 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजुर भोपाल
 प्रकरण क्रमांक 330/अ-2/87-88
 राजहर्षी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित विरह म०प्र०शासन

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजुर भोपाल (म०प्र०)
 राजस्व, प्रकरण क्रमांक 330/अ-2/87-88

राजहर्षी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित
 भोपाल द्वारा- मर्याद श्री बी० एस० राजदेवी
 निवासी टो०टो० नगर भोपाल - - - - - आवेदक
 विरह

म०प्र० शासन - - - - - अनावेदक
 आदेश

(मर्यादा का भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत)
 १ आज दिनांक 23/7/88 को पारित)

प्रकरण का संहिता विवरण इस प्रकार है कि आवेदक/समिति ने इस न्यायालय के सम्भा एक आवेदन पत्र इस अन्वय का प्रस्तुत किया कि ग्राम नखपुरा प०ह०न० 38 तहसील हुजुर भोपाल स्थित कीच भूमि क्षमता क्रमांक 25, 26, 27/2/3 कुल क्षेत्रफल 4-24 एकड़ का व्यववर्तन आवेदकीय प्रयोजन हेतु किया जाये। प्रकरण जांच प्रतिवेदन हेतु अधीक्षक भू-अभिलेख परीक्षित भूमि जिला भोपाल को भेजा गया। अधीक्षक भू-अभिलेख परीक्षित भूमि जिला भोपाल ने प्रकरण म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत पंजीकृत कर जांच प्रतिवेदन संहिता इस न्यायालय को प्रस्तुत किया।

2/ प्रकरण में उक्त अनुसार प्रति वर्ष 1987-88 से सट्टा है कि आवेदक/समिति राजस्व अभिलेखों में प्रस्तावित भूमि के भूमिस्वामी के रूप में अंकित है। आवेदक/समिति का प्रयोजन क्रमांक डी०आर०बी० 318 दिनांक 6/2/83 है। आवेदक/संस्था ने कलौनी स्थापना हेतु कलौनाईजस ब्रॉड साइड्स क्रमांक 9/रोडर/85 दिनांक 4/6/88 जिलाध्यक्ष भोपाल से प्राप्त किया जिसकी कोपी प्रति प्रकरण में संलग्न है। संजालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल के पत्र क्रमांक 1222 न०प्र०नि०/88 दिनांक 2/7/88 द्वारा लेख किया गया है कि समिति द्वारा आवेदकीय विकास किये जाने में इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम निवासी बैरागढ चौचलो ने अपने पत्र दिनांक 15/6/88 द्वारा उक्त भूमि का अभिन्वय स्वीकृत करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है। आवेदक/संस्था ने विकास व्यय की पूर्ति हेतु रुपये 2, 70, 000/- (दो लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) का स्टैमेट प्रस्तुत किया जिसका कि 1/5 भाग रुपये 54, 000/- (चौवन हजार रुपये मात्र) होता है। आवेदक/संस्था ने विकास व्यय की पूर्ति हेतु रुपये 13, 500/- (तीरह हजार पचास रुपये मात्र) का पक्का डिपॉजिट रसीद क्रमांक

(Signature)
२७/१/८४
हस्त प्रतिलिपिका
विद्यालय कार्यालय गोरख प ६.

[illegible]

सत्यप्रतिनिधि आदेश दिनांक 17/12/87

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदुर्ग भोपाल

प्रकरण क्रमांक 16/अ-2/87-88

राजधर्म गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित भोपाल

द्वारा अधिका श्री बी०एस०बाजपेयी निवासी भोपाल अन् आवेदक
विरुद्ध

मो०प्र०गासन - - - - - अनावेदक

आदेश

मो०प्र०राजस्व संहिता की धारा 172(1) के अन्तर्गत
: आज दिनांक 17/12/87 को पारित :

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक समिति ने
इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम
नवापुरा प०ह०च० 38 तहसील दुर्ग जिला भोपाल स्थित कृषि भूमि कातरा
क्रमांक 68/1/1, 61/2/2/2, 68/2, 69, 70, 32/2, 32/6, 33, 34/11, 32/1,
32/8, 32/4, 33, 34/1, 33, 34/13, 33, 34/6, 32/5, 32/3, 32/7, 33, 34/12,
30/2 कुल रकबा 14-45 एकड़ का व्यववर्तन आवासीय प्रयोजन हेतु किया जाय।
प्रकरण जांच प्रतिवेदन हेतु अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि भोपाल
ने प्रकरण मो०प्र०राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत
पंजीबद्ध कर जांच प्रतिवेदन सहित इस न्यायालय को प्रस्तुत किया।

2/ प्रकरण में उल्लेख कातरा प्रति वर्ष 87-88 में स्पष्ट है कि आवेदक
समिति राजस्व अभिलेख में प्रस्तावित भूमि के भूमिस्वामी के रूप में अंकित
है। आवेदक समिति का पंजीयन क्रमांक डी०आर०बी०318 दिनांक 8/2/83 है।
आवेदक संस्था ने कलेक्टर भोपाल से कालोनाइजर्स लायसेंस क्रमांक 9/रीडर/85
दिनांक 4/6/85 प्राप्त कर लिया है। नगर एवं ग्रामीण निवासन विभाग
भोपाल के पत्र क्रमांक 407 दिनांक 11/2/87 क्रमांक 2010 दिनांक 26/8/87
क्रमांक 2038 दिनांक 26/8/87 क्रमांक 2038/दिनांक 26/8/87 क्रमांक 2038/
दिनांक 26/8/87 क्रमांक 2042/दिनांक 26/7/87 के अनुसार उक्त भूमि विक्रय
या रत्ना होन से बाहर होने से कृषि भिन्न योजना के प्रस्ताव नहीं है। नगर
नगर भोपाल के पत्र क्रमांक 68/निल/स्य०बी०एस०/87 दिनांक 2/9/87 में
उल्लेख किया है कि उक्त ग्राम नगर निगम सीमा से बाहर स्थित है। भोपाल
नगर प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 296/वि०क०आ०/85 दिनांक 18/10/84 में

उक्त किया गया है कि उक्त ग्राम की भूमि पर विकास प्राधिकरण की कोई
प्राधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत बेरगढ़ पीचली में अपने पत्र दिनांक 22/11/87
में उक्त भूमि परिवर्तन की सहमति प्रकट करते हुये आउट प्लान स्वीकृत किया
है। जो प्रकरण में संलग्न है। तथा इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया
है। आवेदक संस्था ने उक्त भूमि के विकास कार्य हेतु रुपये 8,27,000/-
आठ लाख सत्तर हजार रुपये मात्र का बटीमे प्रस्तुत किया है जिसका
वि 1/5 भाग रुपये 1,65,400/- एक लाख सत्तर हजार पार तो रुपये मात्र
होता है। आवेदक समिति द्वारा तेन्लू बैंक आफ इन्डिया टी०टी०नगर शाखा
भोपाल में रुपये 41,350/- इकतालीस हजार तीन सौ पचास रुपये मात्र का निम्न
विप्रादित कराते हुये रसीद क्रमांक एल०टी०टी०-०००७३५ दिनांक 16/12/87
प्रस्तुत की है जो कि विकास धन की राशि आ २ प्रतिशत है। जो 15 प्रतिशत
त राशि के संबंध में आवेदक समिति ने अमान्यता राखे गृह निर्माण समिति
की ग्राम नवापुरा स्थित 3-00 एकड़ भूमि एवं राजवेद गृह निर्माण समिति
की ग्राम रानपुर स्थित 3-94 एकड़ भूमि को अमान्य प्रस्ताव की जो स्वीकृत
की जाती है। अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि भोपाल ने
प्रस्तावित व्यववर्तन करने की अनुमति की है।

उपर्युक्त विवेचना को आपांतर पर आवेदन समिति के पञ्चदश पक्ष में आवेदित व्यपर्वतन संहिता की धारा 172(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित बातों के अधीन अनुमत किया जाना आवेदित किया जाता है:-

- 1/ आवेदक समिति को विकास कार्य आदेश पारित होने के तीन वर्षों की समयावधि में पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। अनुमोदित लेआउट प्लान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जावेगा। तार्यत्रिक सुविधा तहक, नाली, पार्क, मैदान संबंधी कार्य समिति को कराया जाना आवश्यक होगा।
- 2/ आवेदक समिति के विरुद्ध प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में पुनः विनिर्धारण समये 20,457/- बीस हजार बारह सौ सत्तावन रुपये मात्र वर्ष 87-88 से कायम किया जाकर तदनुसार उत्का कृषि भू-राजस्व समये 43-15 पैसे कम किया जाना आवेदित किया जाता है।
- 3/ उक्त ग्राम नगर निगम सोमा से बाहर एवं 2000 की आबादी से कम है। अतः प्रव्याप्ति से मुक्त किया जाता है।
- 4/ यह आदेश आज दिनांक 17/12/87 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

तही/-

रामस्वल्प रामा
अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर भागपाल

सह्यमोदी

- 1/ कार्यना पत्र दिनांक 21/12/87
- 2/ आवेदक को दी गई पेशी की तिथि 23/12/87
- 3/ दिनांक जिसको आवेदक ने 21/12/87
- 4/ आवेदक का पता 21/12/87
- 5/ आवेदक का पता 21/12/87
- 6/ आवेदक का पता 21/12/87
- 7/ आवेदक का पता 21/12/87
- 8/ आवेदक का पता 21/12/87
- 9/ आवेदक का पता 21/12/87
- 10/ आवेदक का पता 21/12/87
- 11/ आवेदक का पता 21/12/87
- 12/ आवेदक का पता 21/12/87

TRUE ATTESTED

T. R. SHARMA

सर्वप्रति साक्षी पत्र अधिसूचना दिनांक 5/4/89

न्यायालय अनुविभागोप आदेशकारी तहसील हुनुर भीराल

प्रकरण क्रमांक 47/अ-2/88-89

राजस्थान गृह निर्माण सहायक सौमित्र मर्णावत भीराल (म0प्र0)

न्यायालय अनुविभागोप आदेशकारी तहसील हुनुर भीराल (म0प्र0)

राजस्थान प्रकरण क्रमांक 47/अ-2/88-89

राजस्थान गृह निर्माण सहायक सौमित्र मर्णावत,

भीराल और आदेश श्री श्री0एस0 पात्रपेदे

निवासी भीराल (म0प्र0) - - - - - आवेदक

विचरक

म0प्र0 शासन - - - - - अनावेदक

आदेश

(म0प्र0 के राजस्थान संहिता 1959 की धारा 172(1) के अंतर्गत)

आज दिनांक 5/4/89

प्रकरण का सौमित्र विवरण इस प्रकार है कि आवेदक/सौमित्र ने इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया कि ग्राम गेहूँडा 5080न038, तहसील हुनुर निवासी भीराल स्थित भूमि 810प्र03/1, 5, 44/1 45/1, 46/1 रकबा 10 54 एकड़ का व्यवस्थित आवासीय प्रयोजन हेतु किया जाये प्रकरण जिस प्रतिवेदन हेतु अधोदक भू-आवेदक श्री रवीशंकर भूमि निवासी भीराल ने प्रकरण म0प्र0 भू-राजस्थान संहिता 1959 की धारा 172(1) के अंतर्गत पंजीकृत कर जिस प्रतिवेदन सहित इस न्यायालय को प्रस्तुत किया।

2- प्रकरण में उपलब्ध द्वारा प्रति वर्ष 1988-89 से सख्त ठोक आवेदक/सौमित्र राजस्थान अधिनियमों में प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी के रूप में अविश्व है। आवेदक सौमित्र का पंजीयन क्रमांक 80अर0बी0318 दिनांक 8/2/83 है। आवेदक/सौमित्र ने कोर्ट भीराल से कलोनो स्थापना हेतु आवेदन क्रमांक 9/रोडर/85 दिनांक 4/6/85 को प्रस्तुत किया है जिसकी छापा प्रति प्रकरण में संलग्न है। उक्त संचालक नगर एवं ग्रामिका निवीयन विभाग भीराल ने पत्र क्रमांक 2140, 2141, एवं 2145 दिनांक 25/11/88 द्वारा उपरोक्त भूमि शासन द्वारा स्वीकृत विवरण योजना क्षेत्र एवं निवेश क्षेत्र के बाहर आती है। ग्राम संचालक वेरागढ़ चौकसी ने दिनांक निवासी द्वारा भी निवास स्वीकृत करते हुये अनापूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रकरण में संलग्न है। अधिसूचना ने विवरण व्यय हेतु रुपये 6,40,548/- (छह लाख चत्तीस हजार पचास रुपये मात्र) का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसका कि 1/3 भाग रुपये 2,13,516/- (एक लाख अठ्ठाईस हजार एक सौ तीस रुपये मात्र) होता है। आवेदक/सौमित्र ने इसका बाकी बचत भागा भी नंबर भीराल में विवरण दिवसीय रसोद क्रमांक 7578-35/40/80 दिनांक 29/3/89 द्वारा रुपये 32,050/- (बत्तीस हजार पचास रुपये मात्र) जमा कराते हुये रसोद प्रस्तुत की है, उक्त राशि विवरण -

E/K

रूप का लगभग 5 प्रतिशत है। राहद प्रकरण में संतर्पित है। शेष राशि के संबंध में आवेदक/स्था ने जमानतदार(1) राजवैद गृह निर्माण सफ़ाई सर्वेक्षक मयों वत भीपाल को ग्राम नयापुरा स्थित 3-00 एकड़ भूमि एवं (2) प्रभुवरस बाजरी को आठ बान्स्वरस बाजरी को ग्राम बोचसो स्थित 10-00 एकड़ को जमानत प्रस्तुत की है जो इस न्यायक्षेत्र द्वारा स्वीकार की जाती है।

3- उपर्युक्त नियोजना के आधार पर आवेदक/संमिति के वल में अधिक वत व्ययर्पतन 18 राजस्व अधिनियम, 1959 के धारा 172(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाता है:-

(अ) आवेदक/संमिति को ग्राम गेहलोड़ा स्थित भूमि 61/803/1, 5/1, 44/1, 45/1 एवं 46/1 कुल क्षेत्रफल 10-54 एकड़ पुनी न्यायक्षेत्र में राजस्व व्ययर्पतन पक्ष क्षेत्र 13068 वर्गफुट पर 1268/- रुपये एवं निवासार्थ क्षेत्र 446055 वर्गफुट पर 14497/- रुपये वर्ष 88-89 से कायम किया जाकर उसका पूर्ण रूप राजस्व 26-34 पैसे पर किया जाता है।

(ब) ग्राम गेहलोड़ा को तानाशे 2000 से कम होने से प्रस्तावित है मुक्त किया जाता है।

(ग) ग्रामोण एवं नगर नियोजन भीपाल से अनिवार्य स्वीकृत कराना होगा। संयोजक/संमिति पर्यावरण के लिए रक्षक कोर कार्यवाही नहीं करेगी।

4 यह आदेश आज दिनांक 5/4/89 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायक्षेत्र को मुद्रा से जारी किया गया।

प्रकाश/-

अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुनुर भीपाल

(Signature)
6/4/89

मुख्य प्रतिनिधिकार
केदारपुर अधीनस्थ भीपाल के. व.

6/4/89

12/4/89

6/4/89

6/4/89

6/4/89

31-9

6/4/89

संघर्षातितीत आदेश दिनांक 23/7/88
 न्यायपालिका अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजुर मोराल
 इकरण क्रमांक 332/अ-2/87-88
 राजर्षी गृह निर्माण सङ्घकारी समिति मण्डित विरह र तसन

न्यायपालिका अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजुर मोराल (मोडो)

राजस्व इकरण क्रमांक 332/अ-2/87-88

राजर्षी गृह निर्माण सङ्घकारी समिति मण्डित
 मोराल द्वारा- अध्यापक श्री बी० एस० बाजवेये
 नियन्त्री टी० टी० मगर मोराल - - - - - आवेदक

विरह

मोडो तसन - - - - - अनावेदक

आदेश

(मोडो रेशू-राजस्व संहिता की धारा 172(1) के अन्तर्गत)
 आज दिनांक 23/7/88 को पढित)

इकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक/समिति ने इस न्यायपालिका के समक्ष एक आवेदन पत्र इस अन्वय का प्रस्तुत किया कि ग्राम अक्षरपुरा पञ्चोत्तर 39, तहसील हुजुर मोराल स्थित ग्रीष्म जल सारा क्रमांक 61, 77/1/4, 77/1/2, 77/1/1, 77/2, 77/1/3 कुल क्षेत्रफल 16-79 एकड़ का अधिवर्तन आवासीय उपयोग हेतु किया जाये। इकरण जल इतिवेदन हेतु अग्रणीक मू-अभिलेखी परिवर्तित ग्रीष्म जिला मोराल की भेजा गया। अधिकाधिक मू-अभिलेखी परिवर्तित ग्रीष्म जिला मोराल ने इकरण मोडोमो राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत अजीबद्व कर जल इतिवेदन सौदित इस न्यायपालिका को प्रस्तुत किया।

2/ इकरण में उल्लेख अनुसार प्रति वर्ष 1987-88 से स्पष्ट है कि आवेदक/समिति राजस्व अधिकारियों में प्रत्यक्षीय भूमि के भूमिस्वामी के रूप में अंकित है। आवेदक समिति का अजीबद्व क्रमांक डी०आर०बी० 318 दिनांक 6/2/1985 है। आवेदक संस्था ने कसौती रद्दतना हेतु कसौतीनगरसर्ज साप्लीस क्रमांक 9/रीडर/85 दिनांक 4/6/88 जिलाध्यक्ष मोराल से प्राप्त किया है, जिसकी फोटो प्रति इकरण में संलग्न है। अधिकाधिक नगर तथा ग्राम निवेश मोराल के पत्र क्रमांक 1222/नोप्रॉनो/88 दिनांक 2-7-88 द्वारा भेजा गया है कि समिति द्वारा आवासीय विकास किये जाने में इस कार्यलय को कोई बाधा नहीं है। ग्राम अध्यापक बेरागद चौकली ने अपने पत्र दिनांक 15/6/88 द्वारा उक्त भूमि का अधिकाधिक स्वीकृत करते हुये अनावर्तित प्रमाण पत्र दिया है। आवेदक/संस्था ने विकास व्यय की वृत्ति हेतु रुपये 3, 25, 000/ (तीन लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) का स्टोमेट प्रस्तुत किया है जिसका कि 1/5 भाग रुपये 1, 05000/- (एक लाख पाँच हजार रुपये मात्र) होता है। आवेदक संस्था ने विकास व्यय की वृत्ति हेतु रुपये 26, 250/- (छब्बीस हजार दो सौ पच्चीस रुपये मात्र) का निश्चिद डिवाइज रसोव क्रमांक 000764 दिनांक 19/7/88 द्वारा

सेन्सुस ट्रेक, बाफ रोड पर टोटीनगर गाछा मौपल में जमा कराते व रसीद प्रस्तुत की है, जो प्रकरण में संलग्न है, जो कि विकसित व्यय की राशि का 5 प्रतिशत है। रोड पंजी के प्रतीप में आवेदक/संस्था ने 15 प्रतिशत के संबंध में जमानतदार राजस्व गृह निर्माण धरकारी समीत मपीयत मौपल एवं ब्रह्मसरस्व बाजरे पी व 10 ब्रह्मसरस्व बाजरे पी निवासी टोटीनगर मौपल के जमानते प्रस्तुत की है, जो इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जाती है। अधीक्षक मू. कमिश्नर वीरवर्तन मू.म निता मीरल ने प्रस्तावित व्ययवर्तन करने की अनुमति को है।

3/ उपर्युक्त विवेचना के आधार पर आवेदक/संस्था के पक्ष में ^{अवेधित} ~~अवेधित~~ व्ययवर्तन प्रीडता की धारा 172(1) के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमत किए जाना आवश्यक कि जता है:-

(अ) ग्रामपंचायत क्षेत्र नगर निगम सीमा के बाहर होने से पूर्व निर्धारण मू. राजस्व रुपये 23,407/- (तेइस हजार चार सौ सात रुपये मात्र) वर्ष 87-88 से कायम किए जाकर उसका कूडा मू. राजस्व कम किए जाना आवश्यक कि जता है।

(ब) ग्रामपंचायत ग्राम नगर निगम सीमा से बाहर होने से प्रपोज से मुक्त कि जता है।

(घ) आवेदक/संस्था को कस्तोनी का विकास तीन वर्ष में पूरा कराना होगा।

सर्वजनिक निस्तार एवं पर्यावरण के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जावेगा।

4/ यह अतिमात्र दिनांक 23/7/88 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से प्रसिद्ध कि जता है।

हस्ता/-

महोदयमणीय अधीक्षक
तहसील हुनुर, मौपल

(Signature)
27/7/88
मुख्य न्यायाधीश
जिला न्यायालय मौपल व-क

1. अतिमात्र दिनांक 27/7/88
2. अतिमात्र दिनांक 28/7/88
3. अतिमात्र दिनांक 27/7/88
4. अतिमात्र दिनांक 27/7/88
5. अतिमात्र दिनांक 27/7/88
6. अतिमात्र दिनांक 27/7/88
7. अतिमात्र दिनांक 27/7/88
8. अतिमात्र दिनांक 27/7/88
9. अतिमात्र दिनांक 27/7/88
10. अतिमात्र दिनांक 27/7/88
11. अतिमात्र दिनांक 27/7/88
12. अतिमात्र दिनांक 27/7/88
प्रतिनिधिकार मिशनरनी मुख्य न्यायाधीश

सत्यप्रतिनिधि आदेश- दिनांक 17/12/87
 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील मुर मोपाल
 राखस्य प्रकरण क्रमांक 15/X-2/87-88
 राखस्य गृह निर्माण सहकारी समिति विमोच्योवातन

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील मुर मोपाल [मोचो]
 राखस्य प्रकरण 15/X-2/87-88
 'राखस्य' गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित मोपाल
 प्यारा उपस्था-श्री श्रीरतनराजराजी निवासी मोपाल - आवेदक
 विरुद्ध
 मोचोवातन - - - - - अनावेदक

आदेश
 [मोचो] - राखस्य संहिता की धारा 172[1] के अन्तर्गत
 आज दिनांक 17/12/87 को पारित

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अवेदक/समिति ने इस न्यायालय के समक्ष यह आवेदन पर इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम मेहूडीहा पञ्चायत 038, तहसील मुर जिला मोपाल स्थित कुचि मुरि ठातरा क्रमांक 24, 25/1/1 मु. रकबा 6-70 रकड़ का व्यवर्तन आवेदकी प्रयोजन हेतु किया जाये। प्रकरण का प्रतिवेदन हेतु अधीक्षक मुर-अभिलेख परिचरिता मुरि इसला मोपाल ने प्रकरण मोचो मुर-राखस्य संहिता 1959 की धारा 172[1] के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर काय प्रतिवेदन सहित इस न्यायालय को प्रस्तुत किया।

2/ प्रकरण में उपलब्ध बातरा प्रति वॉ 87-88 से स्पष्ट है कि आवेदक/समिति राखस्य अभिलेख में प्रनाथीन मुरि के मुरिस्वामी के रूप में संज्ञित है। आवेदक/समिति का पंजीयन क्रमांक डीआरओबी 0 318 दिनांक 8/2/03 है। आवेदक/समिति ने मुरिस्वर मोपाल ने कालोनायन न्यायसंज्ञ क्रमांक 9/रोडर/85 दिनांक 4/6/85 प्राप्त कर लिया है। नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग मोपाल के पर क्रमांक 2066/उपओओ/दिनांक 26/8/87 के अनुसार उक्त मुरि विकास योजना योजना में बाहर होने से कुचि भिन्न प्रयोजन योजना के प्रस्ताव नहीं है। ग्राम पंचायत बेरागढ पीचली ने अपने पर दिनांक 22/11/87 में उक्त मुरि परिवर्तन की स्थापति प्रकट करते हुये लेआउट प्लान स्वीकृत किया है जो प्रकरण में संलग्न है, तथा इस न्यायालय प्यारा अनुमोदित किया गया। अवेदक/समिति ने उक्त मुरि के विकास कार्य हेतु रुपये 77,630=00 [पार लाठ सत्तातरत हवार बी:सी तीस रुपये मात्र] का स्वीमेन्ट प्रस्तुत किया है, जिसका 1/5 भाग रुपये 95,526/- पिनपानवे हवार पांच सौ - 34 कीस रुपये होता है। आवेदक/समिति प्यारा सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ली 0 ली 0 नगर शाखा मोपाल में रुपये 23,900/- लेहत हवार नौ सौ रुपये मात्र का फिक्स डिपॉजिट कराते हुये रसीद नॉम्ब 4000डी0डी0-000756 दिनांक - 17/12/87 प्रस्तुत की है, जो कि विकास व्यय की राशि का 9 प्रतिशत है। रोष्ठा 15 प्रतिशत के संकेत में आवेदक/समितिके अमानतदार अहम्मरपछा बायेयी की ग्राम महापञ्चिका स्थित 11-45 रकड़ मुरि की अमानत प्रस्तुत की है, जो स्वीकृत की जाती है। अधीक्षक मुर-अभिलेख परिचरिता मुरि जिला मोपाल ने प्रस्तावित व्यवर्तन करने की अनुमति दी है।

हस्त्य प्रतिसिद्ध
 जिला मुर



3/ उपर्युक्त विवेचना के आधार पर आवेदक/समिति के पक्ष में आवेदित व्यवर्तन संहिता की धारा 172(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति दिया जाना आदेशित किया जाता है:-

1/ आवेदक/समिति को विकास कार्य आदेश पारित होने के 3 वर्षों की समयवधि में पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। अनुमोदित लेआउट प्लान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जाएगा। तार्किक सुविधा सड़क, नाली, पार्क, मैदान संबंधी कार्य समिति को कराना अनिवार्य होगा।

2/ आवेदक/समिति के विरुद्ध प्राबाधान परिवर्तन के संबंध में पुनर्निर्धारण न्यू-रायस्व स्ये 9485/- नौ हजार पार तो पिछवासी स्ये मात्र 5 वर्ष 87-88 के कायम किया जाकर तदनुसार उत्तका कुंछि न्यू-रायस्व स्ये 26-70 पैसे कम किया जाना आदेशित किया जाता है।

3/ उक्त ग्राम नगर निगम सीमा से बाहर एवं 2000 की आबादी से कम है। अतः प्रख्याति से मुक्त किया जाता है।

4/ यह आदेश आज दिनांक 17/12/87 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तही/-

रामदेवस रामा
अनुविभागीय अधिकारी
तहसील मुखुर मोगास

सत्यप्रतिष्ठिति

हस्त प्रतिलिपि

दिनांक 17/12/87 मोगास

शर्तें प
1/ आवेदक को दो वर्षों की विधि...
2/ आवेदक को आवेदन करने के लिए...
3/ आवेदक को आवेदन करने के लिए...
4/ आवेदक को आवेदन करने के लिए...

7 फरवरी का दिन...
2/12/87
2/12/87
2/12/87
2/12/87

कार

7-2-2

OFFICE

248

३३३-

6178

~~सत्य~~

[illegible]

प्रकार निगमिता मूल्य 27/10

सत्यप्रतिलिपि आदेश दिनांक 5/4/89
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तह. हुजर भोपाल
प्रकरण क्रमांक 48/अ-2/88-89
राजस्व गृह निर्माण सहकारी समिति विरुद्ध शासन

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजर भोपाल म.प्र.

राजस्व प्रकरण क्रं. 48/अ-2/88-89

राजस्व गृह निर्माण सहकारी समिति म्यादित,
भोपाल ॥म०प्र०॥ द्वारा अधीक्ष बी०एस० बाजरी, निवासी भोपाल - - - - - आवेदक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन - - - - - अनावेदक

आदेश

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत

आज्ञा दिनांक 5/4/89

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक/समिति ने इस न्यायालय के सम्म एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम नयापुरा प० 80 न० 38, तहसील हुजर जिला भोपाल स्थित भूमि उ० क्र० 63, 68/1/2/अ 73/1/3, 61/2/2/2/3/2 रकबा 13-21 एकड़ का व्यापवर्ती आवासीय प्रयोजन हेतु किया जाये। प्रकरण जांच प्रतियोग हेतु अधीक्ष भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला भोपाल को भेजा गया। अधीक्ष भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला भोपाल ने प्रकरण म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत पंजीकृत कर जांच प्रतियोग सहित इस न्यायालय को प्रस्तुत किया।

AR

2/- प्रकरण में उपलब्ध इसरा प्रति वर्ष 1988-89 से स्पष्ट है कि आवेदक/समिति राजस्व अभिलेखों में प्रस्तावित भूमि के रूप में अंकित है आवेदक/समिति का पंजीयन क्रमांक डी० आर० बी० 318 दिनांक 8/2/83 है। आवेदक/समिति ने कोर्ट भोपाल से कागजी स्थाना हेतु लायसेंस क्रमांक 9/रीडर/85 दिनांक 4/6/85 प्राप्त किया है, जिसका छाया प्रति प्रकरण

में संलग्न हैं। नगर एवं ग्रामीण नियोजन निदेश संवाक्तालय भोपाल के पत्र क्र० 223/88 दिनांक 2/7/88 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है। भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल ने अपने पत्र क्र० 73/वि० क० अ० /85 दि० 8/7/85 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसकी छाया प्रति प्रकरण में संलग्न हैं। सरपंच ग्राम पंचायत बैरागढ़ धीवली ने दिनांक 20/3/89 द्वारा अभिन्यास स्वीकृत करते हुए अनापत्ति त प्रमाण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जो प्रकरण में संलग्न है। संस्था ने विकास व्यय हेतु रुपये 7,76,900/- सात लाख छियत्तर हजार नौ सौ रुपये मात्र का प्रस्तुत किया है, जिसका कि 1/5 भाग रुपये 1,55,380/- एक लाख पचपन हजार तीन सौ अस्सी रुपये मात्र होता है। आवेदक/संस्था ने इलाहाबाद बैंक माता मंदिर भोपाल में फिक्का ठिपाजिट रसीद क्र० 757834/40/79 द्वारा दिनांक 20/3/89 द्वारा रुपये 30,850/- अड़तीस हजार आठ सौ पचास रुपये मात्र जमा कराते हुए रसीद प्रस्तुत की है, जो प्रकरण में संलग्न है। उक्त राशि विकास व्यय का 5 प्रतिशत है। शेष राशि के संबंध में आवेदक/संस्था ने जगन्नाथ पार ॥ 1॥ अवामस्वरूप वाज्येयी का ग्राम धीवली की 10 एकड़ ॥ 2॥ भगवाना जाठ लक्ष्मुराम की ग्राम रत्नपुर स्थित 3-94 एकड़ की जमानतें प्रस्तुत की हैं, जो इस व्यायालय द्वारा स्वीकार की जाती हैं।

3/- उपर्युक्त विवेचना के आधार पर आवेदक/समिति के पक्ष में आवेदित व्यपवर्ती भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172॥ 1॥ के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाता है। :-

- ॥ अ॥ आवेदक/समिति की ग्राम नयापुरा स्थित भूमि क्र० 63, 68/1/2॥ 1॥ एवं 75/1/3 कूल रकबा 11-31 एकड़ पर गुन-निर्धारण भू-राजस्व 15,757/- वर्ष 88-89 से कायम किया जाकर उसका कृषि भू-राजस्व 13-33 पैसे मात्र समाप्त किया जाता है।

21/6/89

// 3 ::

॥ ब ॥

ग्राम न्यापुरा की आबादी 2000 से कम होने
से प्रख्याति से मुक्त किया जाता है ।

॥ स ॥

ग्रामीण एवं नगर निवेश भौपाल से अभिन्यास स्वीकृत
कराना होगा । समिति पर्यावरण के विरुद्ध कोई
कार्य नहीं करेगी ।

4/-

यस आदेश आज दिनांक 5/4/89 को मेरे हस्ताक्षर
एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

हस्ता/-

अनुविभागीय अधिकारी,
तहसील हुजर, भौपाल

21/4/89

21/4/89

21/4/89

21/4/89

21/4/89

21/4/89

21/4/89

21/4/89

21/4/89

21/4/89

सम्यक्प्रतिष्ठितिपि बादेश दिनांक 15-5-90
 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तत्समीन हुर भोपान
 प्रकरण क्रमांक 96/ब-2/89-90
राजस्व गृह निर्माण सहाकारी समिति म्यादित, भोपान

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तत्समीन हुर, भोपान

राजस्व प्रकरण 96/ब-2/89-90

राजस्व गृह निर्माण सहाकारी समिति म्यादित,
 भोपान द्वारा अधक की बी० एस० वाजेयी,
 निवासी टी० टी० नगर, भोपान

आवेदक

वि क द

म०प्र० शासन

आवेदक

- वा देश -

- म०प्र०देश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत :-

- वाप दिनांक 15-5-90 को पारित :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक/समिति ने इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस बाबत का प्रस्तुत किया कि ग्राम गेहूँठा ४० ४० नं० 38, तत्समीन हुर भोपान स्थित कृषि भूमि धरारा क्रमांक 35/1, 36/1, 36/4, 37 कून रख्या 17-01 एकड़ का अपवर्तन बावासीय प्रयोजन हेतु किया जाये, प्रकरण जांच प्रतियेदन हेतु अधीक भू-वर्धित परिवर्तित भूमि जिना भोपान को भेजा गया, अधीक भू-वर्धित परिवर्तित भूमि जिना भोपान ने प्रकरण म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत पंजीकृत कर जांच प्रतियेदन संहिता इस न्यायालय को प्रस्तुत किया

2:- प्रकरण में उपलब्ध धरारा प्रति वर्ष 89-90 से स्पष्ट है कि आवेदक/समिति राजस्व वर्धितों में प्रनाधीन भूमि के भूमिस्वामी के रूप में वर्धित है, आवेदक/समिति का पंजीयन क्रमांक ठी० अर० बी० 318 दिनांक 6-2-83 है, आवेदक/समिति ने कालोनी स्थापना हेतु कालोनी ई-जर्न मायलेस क्रमांक १/रीठर/85 दिनांक 4-6-85 जिना अधक भोपान से प्राप्त किया है, जिसकी छाया प्रति प्रकरण में संलग्न है, तत्वास्त नगर निवासी तथा ग्राम निवासी भोपान के पत्र क्रमांक 626/न०प्र० नि०/०१ दिनांक 14/89 नमस्ते दिया गया है कि समिति द्वारा बावासीय विकास

किय जाने में इस कार्यालय को कोई बापत्ति नहीं है कार्यालय उप

संघान्त नगर एवं ग्रामीण नियोजन भौगोलिक के पत्र क्रमांक 1720/387/ 4020नि0/89 दिनांक 25-11-89 द्वारा दर्शाया है कि स्वीकृत विकास योजना क्षेत्र एवं निवेश क्षेत्र के बाहर आता है, निवेश क्षेत्र के बाहर के भूमि उपयोग संबंधी रिफाई उपनयन न होने के कारण भूमि उपयोग संबंधी जानकारी दिया जाना संभव नहीं है, ग्राम वंचायत बोर्ड की वंचनी ने अपने पत्र दिनांक 12.5.90 द्वारा उक्त भूमि का अभिव्यक्त स्वीकृत करते हुए क्वालिफिकेशन प्रमाण पत्र दिया है, जो इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जाता है, आवेदक संस्था ने विकास कार्य हेतु रुपये 5,35,878-65 पैसे पांच लाख पैंतीस हजार आठ सौ अठ्ठावन रुपये पैंसठ पैसे मात्र का प्राक्कलन प्रस्तुत किया है, जिसका कि 1/5 भाग रुपये 1,07,200/- एक लाख सात हजार दो सौ रुपये मात्र होता है, आवेदक संस्था ने विकास कार्य की पूर्ति हेतु रुपये 27,000/- सत्तर हजार रुपये मात्र का फिक्स डिपोजिट रसीद क्रमांक जी-094568 दिनांक 12.5.90 द्वारा सेन्ट्रल बैंक बाणखिया टो0टी0 नगर गांधी भौगोलिक में जमा कराते हुए रसीद प्रस्तुत की है, जो प्रकरण में संलग्न है, उक्त रशि विवक्षित कार्य का पांच प्रतिशत है, शेष 15 प्रतिशत के संबंध में आवेदक संस्थान ने ज्ञानतदार 1। सुरेशचंद्र बा0 की एस0 के0 वाजेयी की ग्राम वंचनी स्थित 2-00 ए कठ भूमि एवं 2। भगवत बा0 की नरुताम की ग्राम वकरपुरा स्थित 10-08 ए कठ की ज्ञानत प्रस्तुत की है, जो इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जाती है, अधिलेख भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि जिन्ना भौगोलिक ने प्रस्तुत वित्त व्यपवर्तन करने की कृतज्ञता की है,

3:- उपर्युक्त विवेचना के आधार पर आवेदक संस्था के पक्ष में आवेदित व्यपवर्तन संहिता की धारा 172। 1। के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमत किया जाना आवेदित किया जाता है :-

- 1। प्रस्तावित भूमि पर पूर्ण-निर्धारण भू-राजस्व वावासीय क्षेत्र 7,27,452 वर्गफुट पर वावासीय पर रुपये 23,642-20 एवं व्यवसायिक क्षेत्र 13,504 वर्गफुट पर रुपये 1,309-90 पैसे वर्धात कृत पूर्ण निर्धारण भू-राजस्व रुपये 24,952-10 पैसे वर्ष 89-90 से कायम किया जाकर उसका कृषि भू-राजस्व कम किया जाता है ।

1. प्रनाथन ग्राम नगर निगम सीमा से बाहर होने से प्रख्यापित से मुक्त किया जात है
2. वावेदक/समिति को निम्नानुसार 15 प्रतिशत भूमि बन्दी बस्ती निर्भल मंडल भौपान को सौपना होगी
3. सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के विपरित वावेदक/समिति कोई कार्य नहीं करेगी
4. नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग भौपान से ने-वाउट अनुमोदन कराना होगा

6:- यह वावेदो वाज दिनांक 15.5.90 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

हस्ताक्षर

हस्ता/-15.5.90
अनुविभागीय अधिकारी,
तखीन रुजर, भौपान

1	प्रमाण पत्र	2114
2	प्रमाण पत्र	1114
3	प्रमाण पत्र	1114
4	प्रमाण पत्र	1114
5	प्रमाण पत्र	1114
6	प्रमाण पत्र	1114
7	प्रमाण पत्र	1114
8	प्रमाण पत्र	1114
9	प्रमाण पत्र	1114
10	प्रमाण पत्र	1114
11	प्रमाण पत्र	1114
12	प्रमाण पत्र	1114

अधिकारी
मुख्य अधिकारी
मुख्य